ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

मॉल में बिक रहे मिट्टी के चुल्हे

रविवारीय, 15 - 21 नवंबर 2020 वर्ष- दो, अंक-15, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

तालाबों नदियों में छठ महापर्व पर प्रतिबंध

रांची : झारखंड सरकार ने छठ महापर्व को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत नदी , तालाबों, झीलों, सार्वजनिक जलाशयों में छठ पूजा पर रोक लगा दी गयी है।

आदेश में बताया गया है कि छठ महापर्व के आयोजन में अर्घ्य देते समय दो गज की दूरी को मेंटेन करना संभव नहीं हो पायेगा जो कोविड-19 के खतरे का बढायेगा। इस कारण से छठ महापर्व को सार्वजनिक रूप से बाहर के जलाशयों पर मनाने पर रोक लगायी गयी है। स्विमिंग पूल खोलने की भी अनुमति नहीं दी गयी है।

राज्य सरकार का कहना है कि छठ पर्व में मास्क, फेसकवर को पहनना भी संभव नहीं है। छठ महापर्व में वैसे भी घाटों पर भीड़ एकत्र होती है और पानी में एक साथ बहुत लोग खड़े होते हैं। हाल के कुछ महिनों में कोरोना पर कुछ हद तक काबू पाया जा चुका है ऐसे में अगर छठ पर्व पर छूट दी गयी तो फिर से इसके बढने का खतरा होगा।

अमूल्य खनिजों का दाता झारखंड एक राज्य तो बना, पर दो दशक के बाद भी उम्मीद के अनुसार यहां विकास नहीं हुआ, किस हाल में है?

झारखंड बीस साल बाद

वरीय संवाददाता

जब साल 2020 में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था तब लगातार एक महिने तक हर रोज रांची के मेन रोड में किसी न किसी संगठन, पार्टी, नेता का एक उत्सव जुलूस आयोजित होते रहा था। यह जुलूस जहां शहर में अव्यवस्था पैदा करते थे, वहीं इसके आयोजकों में यह दंभ भी झलकता था कि झारखंड स्वयं इन्हीं ने बनाया है और वो अब इसे संवारेंगे?

आज राज्य को बने दो दशक हो गये लेकिन झारखंड अपने निर्माण के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। ऐसा क्यों है? ये सवाल राज्य बनने पर जश्न मनाने वाले राजनीतिक पार्टियों, इसे जापान बना देने का दावा करने वाले नेताओं और राज्य के बजाय एक देश मिलने जैसा भ्रम पालने वाले तत्वों से अवश्य पूछा जाना चाहिये। प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण आज का झारखंड हास्यास्पद राजनीतिक उठा पटक , भ्रष्टाचार, पलायन, अवैध खनन, भूखमरी के लिये भी जाना जाता है।

राज्य बनने के कुछ सालों के बाद जब झारखंड के वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा से एक कार्यक्रम में राज्य के हालात के बारे में सवाल पूछे गये तो उन्होंने कहा था कि *झारखंड अभी एक शीशु राज्य है और इसे विकसित होने में कुछ साल लगेंगे, अन्य अच्छा कर रहे राज्यों से इसकी तुलना अभी जल्दबाजी होगी।*

कड़िया मुंडा के इस बयान के बाद आज डेढ दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है और आज अगर वर्तमान को देखें तो झारखंड शीशु से आगे युवा बन चुका है।

एक ईमानदार आकलन करें तो हम कई मोर्चों पर उपलब्धि गिना कर अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, पर यह भी कड़वी सच्चाई है कि राज्य जिस उम्मीद और मकसद से बना था वह पूरा नहीं हुआ। बीस साल किसी राज्य के लिये कम नहीं होते। झारखंड का युवा पढ़ने और नौकरी करने आज भी बाहर जाता है, यहां बुनियादी चीजें जैसे अच्छी सड़कें भी दशकों तक नहीं बनतीं और कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है, राजधानी तक ट्रैफिक जाम और जल की कमी से जूझती रहती है। यहां कोई बड़ा प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होता, पर उसके डीपीआर को बनाने और रद्द करने का काम अनवरत चलते ही रहता है।

सबसे बड़ा नुकसान यहां के पहाड़ों और जलस्त्रोतों को पहुंचाया गया है। झारखंड में क्रशर के लिये पहाड़ों को काटने का काम चालू है और नदियों, झीलों, तालाबों का अतिक्रमण एवं उनकी बर्बादी साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। जो भविष्य के लिये आत्मघाती है।

पर्यटन में झारखंड हो सकता है अग्रणी

झारखंड जैसे खुबसूरत राज्य में पर्यटन की असीम संभावनायें हैं। राज्य बनने के बाद इस क्षेत्र में अगर समुचित प्रयास किया जाता और राज्य इसके व्यावसायिक दोहन के क्षेत्र में काम करता तो इससे राज्य को ख्याति तो मिलती ही भरपूर रोजगार भी मिलता। लेकिन इन दो दशकों में राज्य की खुबसूरती की चर्चा तो गाहे बगाहे हुयी लेकिन पर्यटन को एक उद्योग का रूप देने में झारखंड असफल रहा।

नदियों, पहाड़ों, बेशुमार झरनों और जंगलों से आच्छादित झारखंड में पर्यटन का विकसित होना यहां से बेरोजगारी और पलायन को भी खत्म कर सकता है। पर्यटन का विकसित होना एक पर्यावरण अनुकूल उद्यम है। और झारखंड अपने प्राकृतिक बनावट एवं ऐतिहासिक विरासतों के कारण इसके लिये एक मुफीद राज्य है। यह अफसोस की बात है कि आज किताबों में हुंडरू जलप्रपात, नेतरहाट, मलुटी के मंदिरों और यहां के जंगलों के बारे में हम पढते तो हैं, लेकिन पर्यटन के लिहाज से हम पिछड़े हुये हैं।

वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पर्यटन पर ध्यान फोकस करने का वादा शायद झारखंड की तस्वीर को बदल दे?

कुछ क्षेत्रों में संतोषजनक प्रगति भी हुई है

राज्य बनने के बाद विकास के मुद्दे पर सवाल उठाये जाते हैं और एक नकारात्मक छवि भी दिखाई जाती है लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य हरेक मोर्चे पर विफल ही रहा है। झारखंड में आज भी तिहाइ धरती वनों से परिपूर्ण है जो पर्यावरण के लिहाज से एक आदर्श स्थिति है। राज्य ने मत्स्यपालन में संतोषजनक प्रगति की है, किसानों की स्थिति अब तेजी से सुधर रही है।

वर्तमान मुख्यमंत्री का यह संकल्प की पर्यटन को एक उद्योग के रूप में विकसित करेंगे भविष्य के लिये एक उम्मीद भी जगाती है।

पर्यावरण अनुकूल विकास की असीम संभावनाओं वाला राज्य

कभी झारखंड में चाय की भी खेती होती थी आज कुछ जगहों पर किसान विदेशी फल स्ट्राबेरी की सफलता पूर्वक खेती कर रहे हैं। वहीं राज्य में बड़े- बड़े तालाबों और झीलों की बहुतायत मत्स्य पालन को और विकसित कर सकती है।

झारखंड की मिट्टी और यहां का वातावरण कई व्यावसायिक कृषि उत्पादों के अनुकूल है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के हॉर्टीकल्चर के एक्सपर्ट्स तक कहते हैं कि राज्य में फूलों की खेती की असीम संभावनायें हैं, लेकिन अब तक इसका पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। सजावटी फूलों के अलावा कई ऐसे औषधीय उपज भी हैं जिसके लिये झारखंड का वातावरण बेजोड़ है।

सालों पहले योगग गुरू बाबा रामदेव ने रांची आने पर लोगों से बताया कि उनके आयुर्वेदिक दवा बनाने के प्लांट के लिये ज्यादतर औषधियां झारखंड से ही प्राप्त होती हैं। इनमें कई तो दुर्लभ किस्म की हैं और यह सभी वनोपज हैं यानि ये सभी विधिवत खेती के बजाय जंगलों से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं। अगर इन औषधीय पौधों और उपज की कृषि विधिवत तरीके की जाये तो झारखंड में यह किसानों के लिये एक उद्योग का रूप ले सकता है?

घर वापस लौटे मजदूरों की सबसे अधिक उम्मीद कृषि से: कृषि मंत्री

- राज्य सरकार की योजनाओं से कृषकों को स्वावलंबी बनाने के लिए कर रही कार्य
- राँची के विभिन्न प्रखंडों से आये 100 कृषकों के बीच शत प्रतिशत अनुदान पर रबी बीज वितरित किया गया
- कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड द्वारा रबी संगोष्टी सह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(दलहन/तेलहन) एवं पूर्वी भारत में हरित क्रांति विस्तार योजना अंतर्गत बीज वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन

रांचीः कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य सरकार कृषक हित के लिए 1 रुपये में राज्य के किसानों के ऋण को माफ करने का कार्य करने जा रही है। इसके लिये 2000 करोड रुपए का अनुदान राशि राज्य सरकार दे रही है। मंत्री बादल ने कहा कि किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिये राज्य सरकार कृत-संकल्पित है। कोविड-19 के कारण घर वापस आने वाले मजदूरों की सबसे अधिक उम्मीद कृषि से ही है और इस ओर राज्य सरकार नीति बनाकर कार्य भी कर रही है।मंत्री बादल ने राम कृष्ण मिशन,ऑडिटोरियम, मोरहाबादी, राँची में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम, राँची जिला अंतर्गत रबी संगोष्टी सह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(दलहन/तेलहन) एवं पूर्वी भारत में हरित क्रांति विस्तार योजना अंतर्गत राँची के 100 कृषकों के बीच शत प्रतिशत अनुदान पर रबी बीज (गेहूँ, चना, सरसो एवं मसूर) वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि कृषकों को जागरूक बनना होगा, सरकार द्वारा किए जा रहे योजनाओं के लाभ हेतु बिचौलियों के कार्य को समाप्त करना सरकार की प्राथमिकताओं में है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कृषकों से 2000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है। कृषक राज्य सरकार को धान बेचेंगे उन्हें तत्काल उनके उत्पाद का 50% मूल्य अदा कर दिया जाएगा, साथ ही उनके द्वारा दिए गए धान की गुणवत्ता की जांच के उपरांत उनका सारा पैसा उनतक अविलंब ही पहुँचा दिया जाएगा। इससे कृषक जो अपना उत्पाद बिचौलियों के बीच बेचते हैं उनसे उन्हें मुक्ति मिल पाएगी। मंत्री बादल ने कहा कि सरकार कृषि कैलेंडर बनाकर कार्य कर रही है। शेष पेज 3 पर

मत्स्य पालन की नई तकनीकः आर ए एस

आशीष कुमार

रांची : वैज्ञानिकों ने देश में मछली के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कई तरीकों का विकास किया है उनमें से एक है री सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम या परिसंचारी जल कृषि प्रणाली। इस विधि में सीमेंट के 25 फीट लंबा 25 फीट चौड़ा तथा 5 फीट गहरे तालाब का निर्माण कर उनमें मछली पालन किया जाता है। समय-समय पर मछलियों के उत्सर्ग तथा अन्य गंदे पदार्थों को पाइप के माध्यम से निकालकर एक अलग हौदा में इकट्ठा किया जाता है और विभिन्न तकनीकों से उसे साफ करके पानी को पुनः मछली पालन वाले पौधे में डाल दिया जाता है।

इस प्रकार एक ही जल को बार-बार प्रयोग करते जल की खपत को कम किया जाता है तथा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इस विधि में सीमेंट के तालाबों का निर्माण और जल की सफाई के लिए डिगेसफायर, बायो फिल्टर तथा लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस विधि से प्रति घन मीटर 90 से डेढ़ सौ किलो मछली का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। पंगास और तिलापिया मछली इस विधि के लिए बहुत ही उपयुक्त पाए गए हैं और भारत सरकार के द्वारा भी प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना में इस योजना के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है।

जिन किसान भाइयों के पास तालाब के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है वह भी जो जमीन उपलब्ध है उसमें इसे प्रारंभ कर सकते हैं। देश के उत्तर प्रदेश और आंध्रप्रदेश राज्यों में यह तेजी से विकसित हो रहा है। झारखंड में देवघर तथा रांची जिले में पहली बार आर ए एस प्रारंभ किया गया है। कई देश इसमें पंगास और तिलापिया के अलावा भेंटकी मछली का भी पालन कर रहे हैं और निर्यात कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में मछली उत्पादन के विकास के लिए यह एक अच्छा उपाय है जिसमें प्रारंभ में थोड़ा अधिक राशि खर्च होता है परंतु बाद में बहुत अधिक उत्पादन प्राप्त होने की संभावना रहती है। इसके लिए किसान भाइयों को ऑक्सीजन की जांच, अमोनिया की जांच, नाइट्रेट नाइट्राइट की जांच का तकनीकी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है और यदि मेहनत से इसमें मछली पालन किया जाए तो तालाब के मुकाबले अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

लेखक सेवानिवृत उपनिदेशक (मत्स्य विभाग) हैं

Ph. 9430783037

email:coomar2012@gmail.com

रांची में खतरनाक स्तर तक बढ़ा वायु प्रदूषण

संवाददाता : सरकार के लाख आग्रह और प्रतिबंधों के बावजूद लोगों ने दीपावली पर जम कर पटाखे फोड़े। रात आठ से दस के बीच ग्रीन पटाखों को चलाने के आदेश का लोगों ने जम कर धज्जियां उड़ायीं और पटाखे फोड़े। इसका असर ये हुआ कि दीपावली के अगले दिन रविवार को रांची के कई इलाकों में एक्यूआइ यानि एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 500 पहुंच गया। ज्ञात हो कि 500 वायुगुणवत्ता सूचकांक सबसे खतरनाक स्तर में गिना जाता है। इस स्तर पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है जो सांस लेने में भी तकलीफ देने लगती है। ऐसे वायु में खतरनाक कणों की बहुतायत हो जाती है जो सांस लेने पर फेफड़ों में पहुंच कर कई तरह के रोग पैदा कर सकते हैं अस्थमा और खांसी बढ सकता है जो कोरोना संकट कीच एक और खतरनाक स्थिति पैदा करती है।

वायु प्रदूषण के साथ ही दीपावली में ध्वनि प्रदूषण भी एक समस्या रहा। पटाखों का शोर दीवाली की रात ही नहीं बल्कि अगले दिन भी होते रहा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रांची में यह समस्या रहुई हो, दिल्ली जैसे शहरों में तो स्थिति भयावह हो चुकी है।

स्पेशल ट्रेन न्यू तिनसुकिया रांची के बीच केवल एक तरफ से चलेगी

रांची : रांचीः त्योहार के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए न्यू तिनसुकिया - रांची के बीच वन वे (केवल एक तरफ से) स्पेशल ट्रेन चलेगी।

ट्रेन संख्या 05906 न्यू तिनसुकिया - रांची वन वे (केवल एक तरफ से) स्पेशल ट्रेन दिनांक 17/11/2020 को न्यू तिनसुकिया प्रस्थान 20:00 बजे, मरियानी आगमन 23:30 बजे प्रस्थान 23:35 बजे, लामडिंग आगमन 03:35 बजे प्रस्थान 03:40 बजे, गुवाहाटी आगमन 06:50 बजे प्रस्थान 07:00 बजे, न्यू बंगाईगांव आगमन 10:15 बजे प्रस्थान 10:17 बजे, न्यू कोचविहार आगमन 12:30 बजे प्रस्थान 12:35 बजे, न्यू जलपाईगुड़ी आगमन 15:30 बजे प्रस्थान 15:40 बजे, मालदा टाउन आगमन 20:00 प्रस्थान 20:10 बजे, रामपुरहाट आगमन 22:40 बजे प्रस्थान 22:45 बजे, दुर्गापुर आगमन 01:15 बजे प्रस्थान 01:35 बजे, आसनसोल आगमन 02:35 बजे प्रस्थान 02:40 बजे एवं रांची आगमन दिनांक 19/11/2020 को सुबह 08:00 बजे होगा।इस वन वे (केवल एक तरफ से) स्पेशल ट्रेन में जनरेटर कार के 02 कोच, द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास के 17 कोच, वातानुकूलित 3-टियर के 02 कोच, कुल 21 कोच होंगे।

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मैक्सिकन फल एवोकाडो (बट्टर फ्रूट) पर शोध

संवाददाता

रांची : बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में विदेशी मैक्सिकन फल एवोकाडो (बट्टर फ्रूट) पर शोध की शुरूआत की गई हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुउपयोगी इस फल का आजकल देश में काफी प्रचलन बढ़ गया हैं। झारखण्ड में इसकी खेती की संभावना की तलाश में विश्वविद्यालय ने इस ओर पहल की हैं। नवनियुक्त बीएयू कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह के परामर्श पर विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग ने इस दिशा पर में पहल की है। विश्वविद्यालय में बिरसा मुंडा पखवाड़ा सप्ताह के अधीन रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ रमेश पांडे एवं बीएयू कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने संयुक्त रूप से बीएयू के टेक्नोलॉजी पार्क में एवोकाडो पौधों का वृक्षारोपण किया। मौके पर डॉ एमएस यादव, डॉ अब्दुल वदूद, डॉ डीके शाही, डॉ जगरनाथ उराँव, प्रो डीके रूसिया एवं डॉ बधनू उराँव मौजूद थे।

मौके पर बीएयू कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने बताया कि एवोकैडो फल फाइबर, स्वास्थ्य ओमेगा -3 फैटी एसिड, विटामिन ए, सी, ई और पोटेशियम से भरपूर पोषक युक्त फल हैं। विटामिन बी की प्रचुरता की वजह से इसे तनाव से लड़ने में मदद के लिए सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। इसमें केले से भी अधिक पोटेशियम मौजूद होते है। एवोकाडो दक्षिण मध्य मैक्सिको में ज्यादा पाया जाता है। अमेरिका में यह फल बहुत ही लोकप्रिय बना हुआ है। भारत में हिमाचल प्रदेश एवं सिक्किम में इसकी खेती प्रचलित हो रही है। भारत में भी इस फल को पसंद किया जाने लगा है। भारतीय बाजार में 400-600 रूपये प्रति किलो बिकती है, जिसे आयात कर मँगाया जाता है। इस फल को सेब के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

एवोकैडो फल फाइबर, स्वास्थ्य ओमेगा -3 फैटी एसिड, विटामिन ए, सी, ई और पोटेशियम से भरपूर पोषक युक्त फल हैं. विटामिन बी की प्रचुरता की वजह से इसे तनाव से लड़ने में मदद के लिए सबसे अच्छा भोजन माना जाता है. इसमें केले से भी अधिक पोटेशियम मौजूद होते है. एवोकाडो दक्षिण मध्य मैक्सिको में ज्यादा पाया जाता है.

आरयू के कुलपति डॉ रमेश पांडे ने कहा कि लैटिन और दक्षिण अमेरिका के पकवानों में एवोकैडो के बहुत से व्यंजनों का प्रयोग किया जाता हैं। कुछ सालों से भारत में भी इस फल का इस्तेमाल होने लगा है। लोग इस फल से तरह- तरह के व्यंजनों में स्वादिष्ट शेक्स, पकवान और डेज़्ज़ेर्ट आदि में प्रयोग से परिचित हुए हैं। झारखण्ड में इसकी खेती उपयुक्त पाए जाने पर किसानों के आय के नए साधन विकसित होंगे। प्रदेश के लोगों को पोषणयुक्त फल सहज मिल सकते है। इस फल को विदेशों से निर्यात भी किया जा सकेगा।

उद्यान विभाग के अध्यक्ष डॉ केके झा ने बताया कि सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश राज्य के 800 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर इसकी सफलतापूर्वक खेती की जा रही है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु की पहाड़ी ढलानों, महाराष्ट्र में कूर्ग, केरल और कर्नाटक के कुछ सीमित क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से की जाने लगी है।

इस समय तमिलनाडु और केरल इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। 60 फीसदी से अधिक नमी सहित 20-30 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त होता है। 100 सेमी प्रतिवर्ष से अधिक वर्षा की जरूरत होती है। इसकी खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। इसका वुडस्टॉक भारत के दक्षिणी प्रांत केरल व तमिलनाडु से लिया जाता है एवं नर्सरी में तैयार कर इसे लगाया जाता है। इसे बीज या कलम द्वारा बोया जाता है। कलम वाले पौधे 4 वर्षों में तथा बीज से बोआई में 5 वर्षों बाद फल मिलने लगता है। झारखण्ड में इसकी खेती में सफलता मिलने पर किसान तीनगुना लाभ पा सकते है।

नहीं मानते लोग

सरकार, एनजीटी और कोर्ट के आदेश के बावजूद दीवाली पर पटाखों की गुंज शांत नहीं हो पायी और लोगों ने आदेश, आग्रह और हिदायत की जम कर धज्जियां उड़ायीं।

देश के कई राज्यों में इस बार कोविड-19 महामारी के चलते दीपावली के दौरान वायु प्रदूषण को बढ़ाने वाले पटाखों पर रोक और नियमन की सलाह दी गई थी लेकिन इसके बावजूद यह रोक पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाई। पूरी तरह से रोक वाले दिल्ली और आस-पास के शहरो में ही नहीं बल्कि देश के सभी बड़े शहरों में भी शाम छह बजे से ही पटाखों की आवाजें सुनी जाने लगीं। वहीं, हवा के प्रमुख प्रदूषक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 का स्तर एक बार फिर इमरजेंसी लेवल की ओर बढ़ने लगा है। कोविड-19 के दौर में भी सुप्रीम कोर्ट व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी अदालतों का आदेश, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश आदि का पूरी तरह से पालन नहीं हो पाया। रात आठ से दस के बीच ग्रीन पटाखों को चलाने के आदेश का लोगों ने जम कर धज्जियां उड़ायीं और पटाखे फोड़े। इसका असर ये हुआ कि दीपावली के अगले दिन रविवार को रांची के कई इलाकों में एक्यूआइ यानि एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 500 पहुंच गया। ज्ञात हो कि 500 वायुगुणवत्ता सूचकांक सबसे खतरनाक स्तर में गिना जाता है। इस स्तर पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है जो सांस लेने में भी तकलीफ देने लगती है। ऐसे वायु में खतरनाक कणों की बहुतायत हो जाती है जो सांस लेने पर फेफड़ों में पहुंच कर कई तरह के रोग पैदा कर सकते हैं अस्थमा और खांसी बढ सकता है जो कोरोना संकट कीच एक और खतरनाक स्थिति पैदा करती है।

हमारे पर्व त्यौहार सिर्फ उच्छृंखल होकर मौज मस्ती के लिये ही नहीं बने हैं, बल्कि पर्यावरण अनुकूल भी हैं, लेकिन आधुनिकता की दौर में हमने इसमें घाल मेल कर दिया है जो पर्यावरण को भी हानि पहुंचा रहे हैं।

देश में पर्व त्यौहारों के अनुष्ठानों को धर्म आस्था से जोड़ा गया है और इसमें कोई सरकारी आदेश या खलल धर्म आस्था में खलल माना जाता है। ये बहुत ही मुश्किल काम है कि कानूनी डंडे से धार्मिक अनुष्ठानों से होने वाले पर्यावरण क्षति को रोका जाये?

हमें ही ये समझना होगा कि धार्मिक आयोजन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिये नहीं होते बल्कि लोगों को उत्सव के साथ सत्कर्म की ओर बढाने के लिये होते हैं।

जब किसी धार्मिक आयोजन से पर्यावरण, किसी जीव, व्यक्ति, को दुख पहुंचने लगे उसके दिनचर्या में व्यवधान पहुंचने लगे तो वह आयोजन उत्सव के बजाय एक सरदर्द साबित होता है।

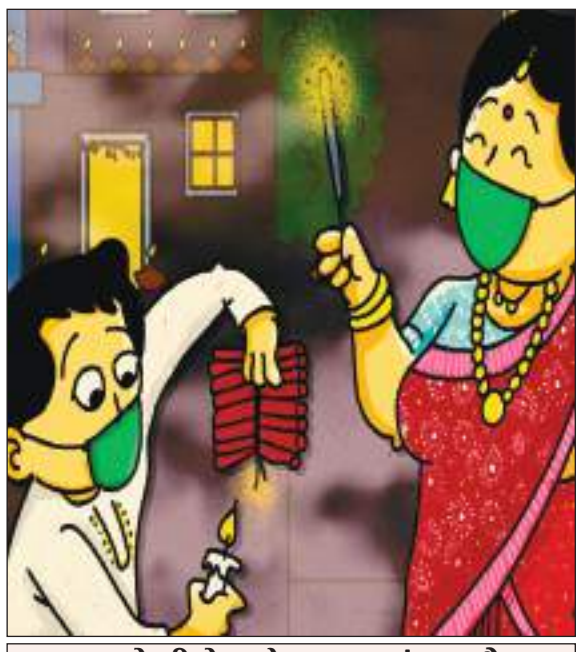

अनुमान से भी तेज हो रहा ब्रह्मांड का फैलाव

नासा के वैज्ञानिकों की खोज के की मानें तो ब्रह्मांड का विस्तार अनुमान से करीब 9 फीसदी ज्यादा गति से हो रहा है।

इस ब्रह्मांड का विस्तार तय अनुमान से भी अधिक तेज गति से हो रहा है। नासा के वैज्ञानिकों ने हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी के जरिए आकलन के बाद यह दावा किया है। ब्रह्मांड के फैलाव को हबल कांस्टेंट के जरिए मापा जाता है। बहरहाल, नासा के वैज्ञानिकों की खोज के मुताबिक ब्रह्मांड का विस्तार अनुमान से करीब 9 फीसदी ज्यादा तेज गति से हो रहा है। वहीं, अब इसे अनायास कहकर खारिज नहीं किया जा सकता।

यह बात भी कही जा रही है कि अभी हमारे ब्रह्मांड संबंधी ज्ञान में कुछ कमियां है जिसके कारण हम यह ठीक से बता पाने में असक्षम हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत महाविस्फोट (बिग-बैंग) के बाद असल में क्या घटित हुआ था। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड के तेज गति से विस्तार की कहानी तब सामने आई जब पर्यवेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि अंतरिक्ष में तारों का समूह (गैलेक्सी) अपनी जगह से काफी दूर घूम रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार आकाशगंगाओं के दूर जाने के कारण होता है। इस फैलाव की गति को हबल कोस्टेन्ट के जरिए ज्ञात किया जाता है।

2011 में भौतिकी वैज्ञानिक एडम रीस, साल परलम्यूटर और ब्रायन पी स्कमिड को भौतिकी में नोबल सम्मान से नवाजा गया था। इन वैज्ञानिकों ने इस बात के सबूत दिए थे कि इस ब्रह्मांड का फैलाव तेजी से हो रहा है। हालांकि, फैलाव की गति की दर के सही आकलन में समस्या थी। वहीं, 2016 में नासा ने कहा था कि ब्रह्मांड का विस्तार अनुमान से करीब 6 से 9 फीसदी ज्यादा तेजी से हो रहा है।

नोबेल से सम्मानित वैज्ञानिक एडम रीस ने उस वक्त कहा था कि ब्रह्मांड के विस्तारित होने की दर संबंधी यह विसंगति बिंग-बैंग के बाद अनुमानित प्रक्षेप-पथ से जुड़ी हो सकती है। यदि हम सही से इस ब्रह्मांड के तत्वों यानी डार्क एनर्जी, डार्क मैटर आदि के बारे में जानते तब भौतिकी का सही इस्तेमाल कर बिग-बैंग के बाद की स्थिति को बहुत जल्द समझा जा सकता था। इससे यह भी सही रूप में पता चला सकता है कि यह ब्रह्मांड वाकई में कितना तेज गति से विस्तारित हो रहा है।

हिम तेंदुए और सामान्य तेंदुए में टकराव की स्थिति

वर्षा सिंह

जलवायु परिवर्तन हिम तेंदुओं को निचले इलाकों की ओर आने को मजबूर कर रहा है, इसी वजह से ऊपर के क्षेत्रों को बढ़ रहे सामान्य तेंदुओं से उनके टकराव की स्थिति बन रही है- विश्व हिम तेंदुआ दिवस पर प्रकाशित एक रिपोर्ट

समुद्रतल से करीब 2,745 मीटर ऊंचाई पर बसे हर्षिल के लोगों ने भी कुछ वर्ष पहले तक हिम तेंदुए के किस्से ही सुने थे। लेकिन अब सर्दियों में हिम तेंदुए उन्हें उनके घरों के ही पास दिखने लगे हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल ग्राम सभा में करीब 250 परिवार रहते हैं। दीवाली के बाद सर्दियां शुरू होते ही गांव के अधिकतर परिवार चार महीनों के लिए निचले इलाकों में रहने के लिए चले जाते हैं।

हर्षिल से भी नीचे उतरा हिम तेंदुआ

माधवेंद्र सिंह उन चंद लोगों में से हैं जो इस दौरान भी हर्षिल में ही रहते हैं। वह बताते हैं ''साल 2018 में बहुत ज्यादा बर्फ़ गिरी थी। हर्षिल से भी नीचे उत्तरकाशी की ओर झाला गांव (करीब 2200 मीटर ऊंचाई) में नदी किनारे हिम तेंदुए की तस्वीर खींची गई। 2019 की सर्दियों में भी हिम तेंदुए निचले इलाकों में देखे गये। वैसे तो हिम तेंदुए छिप कर रहते हैं। लोगों के सामने नहीं आते। क्या पता जब सारा गांव नीचे उतर जाता हो, वे उस समय यहां भी घूमते रहते होंगे। हम पहले इस पर ध्यान ही नहीं देते थे।''

शिकार नीचे आता है, तो शिकारी भी

हर्षिल की इस घटना ने स्थानीय लोगों को भी चौंका दिया। उत्तरकाशी के डीएफओ (प्रभागीय वन अधिकारी) संदीप कुमार द थर्ड पोल हिंदी को बताते हैं ''लोग अब हिम तेंदुओं पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। इनके प्रति लोगों में दिलचस्पी बढ़ी है। साल 2015 से पहले स्नो लैपर्ड को लेकर लोगों के बीच बहुत जिज्ञासा नहीं थी। सर्दियों में बर्फ़बारी ज्यादा होने पर हिम तेंदुए 3000 मीटर से नीचे आते हैं। क्योंकि भरल (ब्लू शीप), मस्क डियर, हिमालयन थार जैसे उनके शिकार भोजन की तलाश में नीचे चले आते हैं। नवंबर से फरवरी के बीच गंगोत्री नेशनल पार्क से करीब 50 किलोमीटर नीचे उत्तरकाशी की तरफ भरल के झुंड हाईवे के पास देखे गए। अगर भरल वहां हैं तो हिम तेंदुआ भी जरूर होगा।

हिम तेंदुए के हैबिटेट पर जलवायु परिवर्तन का असर!

हिमालयन माउंटेन घोस्ट कहा जाने वाला हिम तेंदुआ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन भी इसमें से एक है। हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ मिलकर यूएनडीपी सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट चला रहा है। देहरादून में सिक्योर हिमालय की स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर अपर्णा पांडे बताती हैं ''हर्षिल में हिम तेंदुआ निचले इलाकों में देखा जा रहा है। वहीं, सिक्किम में सामान्य लैपर्ड और स्नो लैपर्ड एक ही कैमरा ट्रैप में दिखाई दिए। जबकि सामान्य तौर पर ये शर्मीले जीव समुद्र तल से 3000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। इसका मतलब कि जलवायु परिवर्तन का असर इनके हैबिटेट पर पड़ रहा है। भोजन और पानी की तलाश में ये नीचे की ओर आ रहे हैं। वाइल्ड लाइफ़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उच्च हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले जीवों पर जलवायु परिवर्तन के असर का अध्ययन कर रही है। संस्थान के वैज्ञानिक डॉ एस. सत्यकुमार द थर्ड पोल हिंदी को बताते हैं ''गर्मी बढ़ने से हिमालयी क्षेत्र में पेड़-पौधों में फूलों के खिलने, फलों के आने के समय में बदलाव आ रहा है। मई में खिलने वाले फूल अप्रैल में ही आने लग गए हैं। इन वनस्पतियों पर निर्भर जानवर भी अपनी एक्टिविटी बदल रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से अधिक के अध्ययन में हमने ये पाया है। हिम तेंदुए का प्रिय भोजन भरल, कस्तूरी मृग, हिमालयी भेड़-बकरी हैं। ये जानवर भोजन की तलाश में नीचे शिफ्ट होंगे तो हिम तेंदुआ भी नीचे शिफ्ट होगा। डॉ. सत्यकुमार कहते हैं ''उच्च हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के साथ मानवीय गतिविधियों का भी असर है। ऐसा कोई कंट्रोल क्षेत्र नहीं है जहां मानवीय गतिविधियां न होती हों। जड़ी-बूटियां या घास लेने लोग जंगलों में जाते हैं। इसलिए इन बदलावों का सही-सही कारण बता पाना आसान नहीं है''।

हिम तेंदुए नीचे, सामान्य तेंदुए उपर

उत्तरकाशी के डीएफओ संदीप कुमार के मुताबिक ''सर्दियों में हिम तेंदुओं का 3000 मीटर से नीचे उतरना सामान्य है। यही नहीं हमने सामान्य तेंदुओं को भी 3500 मीटर तक की ऊंचाई पर देखा है। हिम तेंदुए अपने हैबिटेट से थोड़ा नीचे आ रहे हैं। जबकि सामान्य तेंदुए उपर की ओर बढ़ रहे हैं। सामान्य तेंदुए का 3000 मीटर से उपर की ऊंचाई पर पहुंचना भी हिम तेंदुए के लिए नई चुनौती ला रहा है। डब्ल्यूडब्लयूएफ इंडिया के डॉ ऋषि कुमार शर्मा द थर्ड पोल हिंदी से कहते हैं ''तापमान बढ़ने और ट्री लाइन के उपर खिसकने के चलते ऐसा हो रहा है। इससे हिम तेंदुए और सामान्य तेंदुओं आमने-सामने आएंगे। हिम तेंदुओं के लिए ये हालात ज्यादा मुश्किल होंगे। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के चलते उनका हैबिटेट सिकुड़ जाएगा। दोनों ही जानवर तकरीबन एक आकार के हैं। इनके भोजन की आदतें भी एक जैसी हैं। संभव है कि भविष्य में दोनों के बीच कड़ी प्रतियोगिता हो। उच्च हिमालयी क्षेत्रों के गर्म होने से सामान्य तेंदुओं का दायरा बढ़ेगा लेकिन ट्री लाइन और ग्लेशियर के बीच सिमटे हिम तेंदुए का हैबिटेट कम होगा''।

डॉ ऋषि के मुताबिक '' उच्च हिमालयी क्षेत्र में भरल, कस्तूरी मृग, हिमालयन थार, आईबैक्स पहले ही अवैध शिकार और हैबिटेट कम होने की समस्या से जूझ रही हैं। इन जीवों का कम होना भी हिम तेंदुए को प्रभावित करेगा। क्योंकि वे अपने भोजन के लिए इन पर ही निर्भर रहते हैं''। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं हुआ है। बहुत सटीक डाटा उपलब्ध नहीं है जिससे इनके संरक्षण और नीति बनाने से जुड़े फ़ैसले लिए जा सकें''

हिमालय और मध्य एशिया तक सिमटे हिम तेंदुए: हिम तेंदुए ऊंचे पहाड़ों के बीच 200 से 2000 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में घूमते हैं और इंसानों के नज़दीक आने से बचते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) ने इन्हें रेड लिस्ट में दर्ज किया है। यानी धरती पर बने रहना इनके लिए चुनौती है। डबल्यूडबल्यूएफ की वर्ष 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 4,000 हिम तेंदुए जीवित बचे हैं। इनमें से 2,500 ही प्रजनन योग्य वयस्क हैं। हिम तेंदुओं की मौजूदगी 12 देशों- अफ़गानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कज़ाक़स्तान, काइरगिज़ रिपबल्कि, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में है।

भारत में 516 हिम तेंदुए की मौजूदगी का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में 90, जम्मू-कश्मीर में 285, सिक्किम में 13 और उत्तराखंड में 86 हिम तेंदुओं की मौजूदगी का आकलन किया गया है।भारत में इस समय हिम तेंदुए की गणना का कार्य चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और लेह में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से हिम तेंदुओं की गिनती की जा रही है। अगले ढाई वर्षों में इसके पूरा होने का अनुमान है।

धरती पर बने रहने का संघर्ष

हिम तेंदुए का हैबिटेट सिकुड़ रहा है। बिखरा हुआ है। इसकी गुणवत्ता में गिरावट आई है। इसके उलट इंसानों और पशुओं की आबादी बढ़ रही है। डबल्यूडबल्यूएफ की वर्ष 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सड़क समेत अन्य निर्माण कार्य और खनन जैसी मुश्किलें भी इनके हैबिटेट को प्रभावित कर रही हैं। हिम तेंदुए के शिकार (भरल, कस्तूरी मृग, हिमालयन थार) की कमी, हिमालयी क्षेत्रों में रह रहे लोगों के साथ बढ़ता संघर्ष और हिम तेंदुओं का शिकार इस शर्मीले जीव की आबादी को प्रभावित कर रहा है।

साभार :द थर्ड पोल

कब खत्म होगी हाथो से मैला ढोने की प्रथा?

प्रियंका सौरभ

28 साल पहले एक कानून के माध्यम से इस पर प्रतिबंध लगाने एवं तकनीकी प्रगति के बावजूद, मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने वाली , मैनुअल स्कैवेंजिंग भारत में बनी हुई है। मैनुअल स्कैवेंजिंग का तात्पर्य किसी भी तरीके से मैन्युअल रूप से सफाई करने, शुष्क शौचालयों और सीवरों से मानव उत्सर्जन ले जाने, निपटाने या संभालने के अभ्यास से है। अब जबकि पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान के जरिए साफ-सफाई पर जोर-शोर से चर्चा हो रही है तो यह जरूरी है कि इस अमानवीय पेशे के उन्मूलन के लिए गंभीर प्रयास किए जाएं।

किसी मनुष्य द्वारा त्याग किए गए मलमूत्र की साफ-सफाई के लिए व्यक्ति विशेष को नियुक्त करने की व्यवस्था सर्वथा अमानवीय है। और इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी समेत तमाम महापुरुषों ने समय-समय पर प्रयास किए इसके बावजूद यह व्यवस्था न सिर्फ निजी बल्कि सरकारी प्रतिष्ठानों में भी अपनी जड़ें जमाए रही।

अब जबकि पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान के जरिए साफ-सफाई पर जोर-शोर से चर्चा हो रही है तो यह जरूरी है कि इस अमानवीय पेशे के उन्मूलन के लिए गंभीर प्रयास किए जाएं। तब महात्मा गांधी ने 1917 में पूरा जोर देकर कहा था कि साबरमती आश्रम में रहने वाले लोग अपने शौचालय को खुद ही साफ करेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र हरिजन सेवक संघ ने 1948 में मैला ढोने की प्रथा का विरोध किया था और उसने इसको खत्म करने की मांग की थी। तब जाकर ब्रेव-कमेटी ने 1949 में सफाई कर्मचारियों के काम करने की स्थितियों में सुधार के लिए सुझाव दिए थे। आजादी के बाद मैला ढोने की हालातों की जांच के लिए बनी एक अन्य समिति ने 1957 में सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने का सुझाव दिया था। इतने सालों बाद भी हम देश भर में आए रोज सफाई के लिए सेप्टिक टैंक और नालियों में मानव प्रवेश के कारण हुई मौत की ख़बरें सुनते है। ऐसी दुखद घटनाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने गैर-सरकारी संगठनों से इसके उपयुक्त समाधान की तलाश के लिए एक प्रौद्योगिकी चुनौती शुरू की है। जिस से देश में सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई में मानव हस्तक्षेप की जगह नवीनतम तकनीकों को बढ़ावा दिया जा सके। सेप्टिक टैंकों और नालियों की सफाई करने वालों के अलावा मैला प्रथा (मैनुअल स्कैवेंजिंग) भी इस काम में लगे लोगों के लिए अभिशाप बन गई है. मैनुअल स्कैवेंजिंग का तात्पर्य किसी भी तरीके से मैन्युअल रूप से सफाई करने, शुष्क शौचालयों और सीवरों से मानव उत्सर्जन ले जाने, निपटाने या संभालने के अभ्यास से है। 28 साल पहले एक कानून के माध्यम से इस पर प्रतिबंध लगाने एवं तकनीकी प्रगति के बावजूद, मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने वाली , मैनुअल स्कैवेंजिंग भारत में बनी हुई है। 2015 में जारी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 18 मिलियन मैनुअल मैला ढोने वाले घर थे।

अधिकांश सेप्टिक टैंक मैन्युअल रूप से भारतीय शहरों में खाली किए जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत के 80% सीवेज क्लीनर विभिन्न संक्रामक रोगों के कारण 60 की उम्र से पहले मर जाते हैं। ये दुर्घटनाएँ शहरी इलाकों में अधिक हैं और क्योंकि देश के 8000 शहरी क्षेत्र हैं और 6 लाख गाँव के बड़े हिस्से में सीवेज प्लांट नहीं हैं। मैनुअल स्केवेंजिंग मुख्य रूप से जाति व्यवस्था से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। इस सबसे बड़े अमानवीय पेशे को खत्म करने के लिए समाज द्वारा समर्थन का अभाव भी इसके बने रहने के पीछे एक कारण है। वैसे भी शिक्षा और मानवता का अभाव आज भारत के कई हिस्सों में गायब है। इनके बारे में एक सटीक सर्वे भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि डेटा स्व-रोजगार लेने के लिए मैनुअल मैला ढोने वालों की जानकारी सामाजिक अभिशाप होने की वजह से सामने नहीं आ पाती। इसके लिए एक सरकारी पहल की सख्त जरूरत है. 1993 में संसद द्वारा ड्राई स्केवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिंस (निषेध) अधिनियम को पारित किया गया था,जिसके तहत एक व्यक्ति को मैनुअल स्कैवेंजिंग करने के लिए एक वर्ष तक का कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। मैनुअल स्कैवेंजर्स (एसआरएमएस) के पुनर्वास के लिए स्व रोजगार योजना, समयबद्ध तरीके से एक उत्तराधिकारी योजना (स्केवेंजर्स और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय योजना), 2007 में वैकल्पिक स्कैवेंजरों और उनके आश्रितों को वैकल्पिक व्यवसायों में पुनर्वासित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के रूप में रोजगार का निषेध 2013 से प्रभावी हुआ। यह अधिनियम मैनुअल स्केवेंजर्स के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध लगाताहै। अधिनियम में कहा गया है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के बारे में शिकायतों की जांच करेगा। प्रावधान के तहत, किसी भी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरण या एजेंसी को सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई के लिए लोगों को संलग्न या नियोजित नहीं करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस को रोकने और नियंत्रित करने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए 2014 में कई दिशा-निर्देश जारी किए। सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई निर्धारित मानदंड है। उल्लंघन करने पर दो साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसने सरकार को 1993 से मैन्युअल मैला ढोने के कृत्यों में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा, गरिमा के साथ जीने का अधिकार संविधान के भाग क्क में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में निहित है। दूसरी ओर, संविधान का अनुच्छेद 46 यह प्रदान करता है कि राज्य विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।

स्वच्छ भारत अभियान जैसे ऑपरेशन में अच्छी तरह से इस पहलू पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है. मैनहोल में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के लिए तकनीकी उन्नति का सहारा लिया जाये. ऐसे कार्यों में लगे लगे लोगों के कलंक और भेदभाव से इतर आजीविका को सुरक्षित करने के लिए पूर्व या मुक्त मैनुअल मैला ढोने वालों के लिए तरीका ढूंढा जाये. इनके पुनर्वास के लिए बजट समर्थन और उच्च आवंटन का प्रभावी उपयोगएवं प्रबंध किया जाये। मैनहोल में आखिर इनको क्यों उतरना पड़ता है इस स्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जाये और उन पर जुर्माना लगाया जाये। आखिर क्यों सेप्टिक टैंक बुरी तरह से डिजाइन किए जाते हैं। उनके इंजीनियरिंग दोष को ढूंढकर पकड़ा जाये कि आखिर क्यों एक मशीन इसे साफ नहीं कर सकती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण भारत में लाखों सेप्टिक टैंक बनाए जा रहे हैं। इनको आधुनिक तकनीक पर बनाया जाये ताकि भविष्य में मानव हस्तक्षेप की कम जरूरत पड़े.

कई शहरों में सीवरेज नहीं है जो पूरे शहर को कवर करता है। कभी-कभी, सीवेज लाइनें तूफान के पानी की नालियों से जुड़ी होती हैं जो कि घिस जाती हैं और मानव हस्तक्षेप की मांग करती हैं। खुली नालियाँ भी बुरी तरह से डिज़ाइन की गई हैं, जिससे लोगों को ठोस कचरा डंप करने की अनुमति मिलती है, जो समस्या को बढ़ाता है।सैनिटरी नैपकिन, डायपर आदि का अनुचित निपटान नालियों को रोक देता है, जो मशीनें साफ नहीं कर सकती हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के मुताबिक केवल 16 राज्यों ने ही सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध के कानून को अपनाया है और किसी ने भी इसे पूरी तरह लागू नहीं किया है।

श्रम मंत्रालय के 'कर्मचारी क्षतिपूर्ति कानून' को भी सिर्फ 6 राज्यों ने लागू किया है। इसलिए अब आगे ऐसा न करके एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो आय सृजन का विस्तार करने या ऋण प्रदान करने से आगे बढे जिससे मुक्त मैनुअल मैला ढोने वालों की अगली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। स्वच्छता के अभाव में पुरानी सुविधाओं को ध्वस्त और पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। मैनुअल सफाई में लगे लोगों में आत्मविश्वास का स्तर बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इस अमानवीय प्रथा को मिटाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति अहम भूमिका अदा कर सकती है।

प्रियंका सौरभ
रिसर्च स्कॉलर इन
पोलिटिकल साइंस,

मंगल ग्रह पर ग्लेशियरों के नीचे मौजूद हैं कई झीलें

इटली स्थित द रोमा ट्रे यूनिवर्सिटी के भौतिकी और गणित की प्रोफेसर एलेना पेटीनेलीअगर ने बताया है कि कभी मानव मंगल पर बसने की कोशिश करे, तो मंगल का दक्षिणी ध्रुव बेस बनाने के लिए सबसे सटीक स्थलों में से एक होगा। शोधकर्ताओं ने अल्टिमी स्कूपुली नाम के एक क्षेत्र में मौजूद बर्फीले ग्लेशियरों के नीचे तीन नमकीन वॉटरबॉडी (झील) का पता लगाया है। यह जानकारी मंगल पर सूक्ष्मजीव की मौजूदगी के साथ ही मंगल पर मानव के बसने की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। यह रिसर्च परिणाम 28 सितंबर को नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित हुआ था। ये परिणाम 2003 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लांच मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट के जरिए शुरू किए गए मार्स एडवांस्ड राडार फॉर सब्सर्फेस एंड आयनोस्फेयर साउंडिंग (मार्सिस) के डेटा विश्लेषण से मिले हैं। मार्सिस रेडियो तरंगों को मार्टियन सतह पर भेजता है और रिफ्लेक्ट होकर आने वाली तरंगों की व्याख्या करता है।

वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के ध्रुवों के पास बर्फ की चादर के नीचे तरल झीलों को खोजने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था, यहां भी उसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। 2012 से 2015 के बीच किए गए 29 अवलोकनों के जरिए रिसर्च टीम को 2018 में 19 किलोमीटर चौड़े एकल खारे पानी (सिंगल साल्टवाटर) झील के प्रमाण मिले थे। इस टीम को अब 105 और अवलोकनों के जरिए तीन बड़ी वाटरबॉडी और तीन छोटी वॉटरबॉडी के और अधिक प्रमाणिक सबूत मिले हैं।

कोल्हापुर में जारी है अवैध खनन, पर्यावरण को पहुंच रहा है नुकसान

एनजीटी ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कोल्हापुर के कलेक्टर और वन संरक्षक को एक संयुक्त समिति के गठन का निर्देश दिया है यह समिति कोल्हापुर की तालुका हटकनंगले में मौजूद ग्राम कसारवाड़ी में अवैध पत्थर खनन की गतिविधियों पर नजर रखेगी। कोर्ट ने कहा है कि यदि अवैध गतिविधियां पाई जाती है, तो समिति नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करेगी

गौरतलब है कि आवेदक (ग्राम पंचायत, कसारवाड़ी) के अनुसार, कोल्हापुर के जिला खनन अधिकारी ने एक खनन का पट्टा जारी किया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। इसके बावजूद अभी भीअवैध खनन जारी है जिससे वायु और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, साथ ही कृषि भूमि को नुकसान हो रहा है।

चावल निर्यात मतलब पानी का निर्यात, नई प्रजातियां पानी की खपत को कर सकती हैं कम

बासमती की नई प्रजाति पानी की खपत को कम कर सकती है, करनाल में वैज्ञानिकों ने इसका सफल परीक्षण किया है।

जलसंकट वाले क्षेत्रों में भी धान की बढ़ती खेती के बाद अब देश में कई तरह की चिंताए खड़ी हो गई हैं। मसलन पंजाब और हरियाणा में धान के अवशेष यानी पराली जलाए जाने की समस्या हो या फिर धान के लिए भू-जल का अत्यधिक दोहन, यह किसानों से लेकर नीति-नियंताओं तक के लिए चिंता का विषय बन गया है। आखिर धान और पानी का यह हिसाब-किताब कैसे ठीक हो सकता है और क्या धान की खेती को कम करना ही इलाज है।

उड़ीसा के कटक में स्थित सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के ड ॉक्यूमेंट विजन 2050 में कहा गया है कि देश के 55 फीसदी हिस्से में सिंचाई के पानी से ही चावल पैदा किया जाता है। एक किलो चावल पैदा करने में करीब 2500 से 3500 लीटर तक पानी खर्च होता है। साथ ही पंजाब-हरियाणा में प्रति किलोग्राम चावल उत्पादन में इससे भी ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है।

इस विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि यदि एक किलो चावल उत्पादन में पानी की खपत को 2000 लीटर तक लाना होगा। ऐसे में कम पानी और उच्च उत्पादन वाले सीड पर काम करना होगा। अन्यथा चावल की बढ़ती मांग और सप्लाई में बड़ी खाई बन जाएगी। इस मामले पर तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रवीण राव ने डाउन टू अर्थ से कहा कि 2014 में चावल निर्यात में हमने वर्चुअली करीब 37 अरब लीटर पानी का निर्यात किया है। ऐसे में पानी की बचत और चावल का ज्यादा उत्पादन करना एक बेहद जरूरी और चुनौती भरा काम है। हमारे देश में प्राथमिक आंकड़ों की बेहद कमी हो गई है और ज्यादातर सेंकेडरी डाटा पर ही काम कर रहे हैं। लेकिन यह अनुमान ऐसा है जो हमें बताता है कि चावल निर्यात दरअसल पानी का निर्यात है। ऐसे में साफ पानी के संकट और उसके संरक्षण की समस्या को भी हमें देखना होगा।

वैज्ञानिक इस मामले पर क्या कर रहे हैं?

हरियाणा के करनाल स्थित सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसएसआरआई) के डॉ कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि बासमती की अभी तक की जो भी प्रजातियां हैं वह पानी की समस्या का हल नहीं बन पाई हैं। आज भी सामान्य पानी की तरह ही बासमती की किस्मों में उच्च पैदावार के लिए पहले की तरह ही पानी की खपत है। डायरेक्ट सीडेड राइस (डीएसआर) यह वेराइटी पाइपलाइन में है और हरियाणा में कुछ जगहों पर इसका प्रयोग सफल रहा है। यह न सिर्फ पानी की खपत में आमूलचूल परिवर्तन करेगा बल्कि पैदावार के मामले में भी नई उम्मीद जगाएगा। इसे अभी जारी नहीं किया गया है जल्द ही यह प्रजाति भी आएगी। करनाल के ही इन वैज्ञानिकों ने बासमती की सीएसआर 30 वेराइटी पैदा की थी, जो कि काफी सफल रही। ऐसे में डीएसआर का भी सफल परीक्षण हुआ है जिसमें पानी की खपत को कम किया जा सकता है।

सामान्य धान के मुकाबले बासमती धान के बढ़ते चलन को लेकर कई लोग यह उम्मीद जताते हैं कि सामान्य धान प्रजातियों के मुकाबले बासमती में कई सारे गुण हैं जो उत्पादन से लेकर अवशेष तक में काफी बेहतर हैं। इस मसले पर पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर नवतेज सिंग बैंस ने डाउन टू अर्थ से कहा कि बासमती चावल में कई गुण हैं। मसलन इससे न सिर्फ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में पहला होगा बल्कि सामान्य धान के मुकाबले 15-20 फीसदी तक पानी बचाया जा सकता है। **साभार : डीटीइ**

पर्यावरण नियमों की अनदेखी पर एनजीटी ने स्थगित की कार्यवाही

पर्यावरण नियमों के पालन में की जा रही देरी के चलते एनजीटी ने 19 फरवरी, 2021 को की जाने वाली कार्यवाही को स्थगित कर दिया है नियमों के पालन में यह देरी मैसर्स ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एलपीजीसी) द्वारा की गई थी जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और श्यो कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि उम्मीद है कि एलपीजीसी पर्यावरण और उससे जुड़े नियमों के पालन में अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और अब इस विषय पर प्रभावी कदम उठाएगा।

कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर पिछले दो वर्षों में कई मौकों पर विचार किया गया है इसके बावजूद पर्यावरण से जुड़े कई अहम मुद्दों पर पर्यावरण से जुड़े नियमों को अनदेखा किया जा रहा थो इसमें फ्लाई एश का निपटान, हवा की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी के लिए स्टेशनों का निर्माण, हानिकारक वेस्ट का निपटान, उत्सर्जन की रोकथाम, पर्याप्त मात्रा में पेड़ लगाना और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के उचित संचालन जैसे मुद्दे शामिल हैं।

पर्यावरण मंजूरी के संशोधन पर पुन:विचार करे मंत्रालय: एनजीटी

एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 28 मार्च, 2020 को जारी अधिसूचना पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है। इस नई अधिसूचना में 14 सितंबर, 2006 को जारी पुराने नोटिफिकेशन के कुछ प्रावधानों में बदलाव कर दिया था। यह संशोधन पर्यावरण मंजूरी से जुड़े प्रावधानों के विषय में थे।

गौरतलब है कि नए संशोधन के तहत खनन के लिए दिए नए पट्टों में पर्यावरण मंजूरी के लिए दो वर्ष का अतिरिक्त समय दे दिया है। इस तरह यदि पुराने पट्टे के लिए पर्यावरण मंजूरी ली गयी है तो पट्टे की तारीख से दो साल की अवधि के लिए फिर से पर्यावरण मंजूरी लेने की जरुरत नहीं है, चाहे वह पट्टा किसी और को दिया जा रहा हो।

इसके साथ ही इस संशोधन में कुछ अन्य कार्यों जैसे सड़क, पाइपलाइन, बांधों से गाद निकालने, जलाशयों, बैराज, नदी और नहरों को उनके रखरखाव और आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से खनन करने पर पर्यावरण मंजूरी लेना जरुरी नहीं है।

बीएयू में बिरसा जयंती पखवाड़ा सप्ताह किसान हित में कई कार्यक्रम आयोजित

संवाददाताः रांची राजधानी रांची से सटे कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 10 नवंबर से 15 नवंबर तक बिरसा जयंती पखवाडा सप्ताह का आयोजन किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 145 वीं जयंती के मौके पर विश्वविद्यालय ने प्रदेश के किसानों के हित में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया।

खरीफ व रबी रिसर्च काउंसिल की संयुक्त बैठक का आयोजन

एक वर्षो के बाद बीएयू में रिसर्च काउंसिल की बैठक का आयोजन 10 नवंबर को किया गया। नवनियुक्त कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय के निदेशालय अनुसंधान द्वारा खरीफ एवं रबी रिसर्च काउंसिल की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोविड -19 की वजह से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए विश्वविद्यालय डीन, एसोसिएट डीन, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, विभागों के अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, क्षेत्रीय अनुसंधान के एसोसिएट डायरेक्टर, कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रधान के अलावा कृषि संकाय के सभी वरीय व कनीय वैज्ञानिक ने ही काउंसिल की बैठक में भाग लिया। बैठक में वैज्ञानिकों द्वारा खरीफ एवं रबी से सबंधित शोध उपलब्धियों एवं भावी शोध रणनीति पर चर्चा की गयी। बैठक में रबी फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया गया। किसानों को शुद्ध बीज, अनुशंसित बीज दर, बीज बुआई से पहले फफूंदनाशी से बीज उपचार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अनुशंसा के अनुसार संतुलित एवं अनुशंसित खाद एवं उर्वरक के उपयोग के प्रति जागरूक का परामर्श दिया गया।

बैठक में मुख्य अतिथि अबू बकर सिद्दीकी पी, कृषि सचिव, झारखण्ड सरकार ने कृषि क्षेत्र में भावी विकास के लिए विश्वविद्यालय को आकलन कर व्यापक रोड मैप बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने धान-गेहूँ की खेती की परंपरागत सोच में बदलाव लाते हुए राज्य के किसानों को समेकित कृषि प्रणाली, बागवानी तथा उच्च कीमत वाली नकदी फसलों की खेती को अपनाने पर बल दिया। मौके पर विशिष्ट अतिथि कृषि निदेशक राखी निशा उराँव तथा विशेष अतिथि के रूप में डॉ शिव मंगल प्रसाद, प्रधान वैज्ञानिक (शस्य), सेंट्रल अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन, हजारीबाग तथा डॉ एस कुमार, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक, हार्प, पलांडू ने अपने विचारों को रखा। बैठक में डायरेक्टर रिसर्च डॉ अब्दुल वदूद ने 3-4 वर्षो से वांक्षित शोध उपलब्धि नहीं प्राप्त करने वाले कार्यक्रमों के स्थान पर स्थानीय विशेष एवं मांग के अनुरूप नये शोध कार्यक्रमों को शुरू करने की दिशा में पहल करने पर जोर दिया।

बैठक में कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह की अध्यक्षता में राज्य के किसानों के हित में बीएयू वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किये गये विभिन्न फसलों के 13 उन्नत किस्मों को चिन्हित किया गया। इनमें मडुआ (रागी) की बिरसा मडुआ -3 (बीबीएम-10), सोयाबीन की बिरसा सोयाबीन - 3 (बीएयूएस-40), तीसी (अलसी) की दिव्या (बीएयू -06-03), प्रियम (बीएयू - 2012-1) व बिरसा तीसी -1, अरहर की बिरसा अरहर -2 (बीएयू पीपी -09-22), मक्का की बीभीएम -1(बेबी कॉर्न -1) उरद की बिरसा उरद -2 (आरयूबी - 12-02) एवं सरसों की बिरसा भाभा मस्टर्ड - 1(बीबीएम -1) के अलावा 11 उन्नत लघु कृषि उपकरण के तकनीकी को स्टेट वैरायटल रिलीज़ कमिटी के अनुमोदन हेतु भेजने की अनुशंसा प्रदान की गयी। बैठक में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, चियांकी, पलामू केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित बैंगन की दो किस्में बिरसा ब्रिंजल-1 एवं बिरसा ब्रिंजल-2 को भी स्टेट वैरायटल रिलीज़ कमिटी के अनुमोदन हेतु भेजने की अनुशंसा प्रदान की गयी। कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने बताया कि बिरसा जयंती पखवाडा सप्ताह के अवसर पर विकसित किस्मों एवं तकनीकी बीएयू वैज्ञानिकों का प्रदेश के किसानों हेतु बड़ी सौगात है। स्टेट वैरायटल रिलीज़ कमिटी के अनुमोदन से इसका लाभ झारखण्ड के किसानों को मिलने लगेगा। कार्यक्रम संचालन में श्रीमती शशि सिंह तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉ सुशील प्रसाद ने दी।

उलिहातु में कृषक -वैज्ञानिक अंतरमिलन कार्यक्रम का आयोजन

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय के द्वारा खुंटी जिले के उलिहातु गाँव में कृषक -वैज्ञानिक अंतरमिलन का आयोजन किया गया। मौके पर डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन डॉ जगरनाथ उराँव ने उलिहातु गाँव के किसानों के विकास हेतु विश्वविद्यालय द्वारा चालु रबी मौसम में चलाये जाने वाले प्रसार गतिविधियों से अवगत कराया। स्थानीय किसानों से कृषि तकनीकों को अपनाने में आ रही समस्याओं तथा स्थानीय विशेष आधारित खेती की के बारे में जाना। उन्होंने गाँव के आदिवासी किसानों के बीच तेलहनी फसल की खेती को बढ़ावा देने हेतु सरसों की उन्नत किस्म एनआरसीएचबी -101 के बीजों का वितरण किया। मौके पर भगवान बिरसा मुंडा के पोत्र सुखराम मुंडा ने वैज्ञानिकों को स्थानीय आदिवासी किसानों के समस्याओं के बारे में बताया।

इस अवसर पर शस्य वैज्ञानिक डॉ आरपी मांझी ने किसानों को रबी फसलों में सरसों, चना, गेहूँ तथा आलु की उन्नत प्रभेद, बीजोपचार, रोग एवं कीट नियंत्रण की जानकारी दी।

मृदा वैज्ञानिक डॉ सुधीर झा ने टिकाऊ खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य की देखभाल, मिट्टी के नमूने लेने की विधि व मिट्टी जाँच का महत्त्व से किसानों को अवगत कराया।

उद्यान वैज्ञानिक डॉ संयत मिश्रा ने किसानों को सब्जी एवं फलों के उन्नत किस्में, नर्सरी की तैयारी, बिचडो का उपचार तथा रोग एवं कीट प्रबंधन के बारे में बताया। पशु चिकित्सा वैज्ञानिक डॉ बधनु उरांव ने बेहतर आजीविका के लिए ग्रामीणों को उन्नत नस्ल एवं वैज्ञानिक प्रबंधन से पशुपालन से जुड़ने की जानकारी दी। मौसम के मुताबिक पशुओं में टीकाकरण का महत्त्व एवं बीमारी से बचाव के उपायों को बताया। पशु चिकित्सा वैज्ञानिक डॉ पंकज सेठ ने मुर्गी पालन, सूकर पालन, बकरी पालन एवं बत्तख पालन में उन्नत नस्ल से लाभ, आवास एवं भोजन प्रबंधन के बारे में बतलाया। कार्यक्रम संचालन में डॉ पंकज सेठ एवं निर्मल कुमार ने सहयोग दिया।

बीएयू के अंतिम वर्ष के कृषि स्नातक छात्रों के लिए ग्रामीण कृषि कार्यानुभव पाठ्यक्रम की शूरूआत

प्रदेश में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के चार कृषि कॉलेजों में बैचलर साइंस इन एग्रीकल्चर के चार वर्षीय कोर्स का संचालन हो रहा है। इस वर्ष इन कॉलेजों में कृषि शिक्षा में अध्ययनरत कुल 221 छात्र -छात्राओं ने अंतिम वर्ष के 7 वें सेमेस्टर में प्रवेश किया है। बिरसा जयंती पखवाडा सप्ताह के अधीन कृषि संकाय ने एक सप्ताह का ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया। इसके माध्यम से शस्य, कीट, पौधा रोग, मृदा विज्ञान, उद्यान तथा कृषि प्रसार शिक्षा विभागों के शिक्षकगण छात्रों को ग्रामीण कृषि कार्यानुभव पाठ्यक्रम विषयों के बारे में प्रशिक्षित किया।

डीन एग्रीकल्चर डॉ एमएस यादव ने बताया कि विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के अधीन कांके (रांची), गोड्डा, देवघर एवं गढ़वा में चार कृषि कॉलेज कार्यरत हैं।

पेज चार भी देखें

दिल्ली में पत्रकारों से बोले केंद्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी

राज्यों को मिलेगा 6,656 करोड़ रु.का वार्षिक राजस्व

एजेंसियां: केंद्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि राष्ट्र की सबसे पहली व्यावसायिक कोयला खनन नीलामी की ऐतिहासिक सफलता से राज्यों को कुल 6,656 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व मिलेगा। जोशी इस नीलामी की बोली प्रक्रिया की समाप्ति के बाद नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 19 खदानों की सफलता पूर्वक नीलामी कर ली गई है, जोकि कोयला खदानों की नीलामी के किसी भी चरण में नीलामी की गई खदानों की अब तक की सबसे अधिक संख्या है। झारखंड को सबसे अधिक 2,690 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व मिलेगा, जबकि मध्य प्रदेश को 1,724 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। अन्य राज्यों में ओडिशा को 1,059 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ को 863 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र को 321 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व मिलेगा।

झारखंड को सबसे अधिक 2,690 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व मिलेगा

जोशी ने बताया कि बोली प्रक्रिया के दौरान खदानों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली और कंपनियों ने शानदार प्रीमियम दिए हैं। सर्वाधिक प्रीमियम 66.75% रहा, जबकि औसत प्रीमियम 29% रहा। नीलामी हेतु प्रस्तावित कीं गईं 38 खदानों में से 19 खदानों के लिए वित्तीय बोलियां प्राप्त कीं गईं और नीलामी की सफलता दर 50% रही। इससे पहले के 10 चरणों में नीलामी के लिए प्रस्तुत कुल 116 खदानों में से 35 खदानों की नीलामी के साथ सफलता दर केवल 30% रही थी।

बोली के स्वरूप पर जोर देते हुए मंत्री जोशी ने कहा कि लगभग 65% प्रतिभागी रियल स्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा जैसे 'गैर-अंतिम उपयोग' वाले क्षेत्रों से थे, जोकि नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु 'अंतिम उपयोग' की बाध्यता से जुड़े प्रावधान को हटाने के बाद उद्योग जगत की सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की दो कंपनियों- नालको और आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी नीलामी में भाग लिया। नीलाम की गईं 19 खदानों में से 11 ओपनकास्ट, 05 अंडरग्राउंड और शेष 03 अंडरग्राउंड एवं ओपन कास्ट मिश्रित खदानें हैं। ये खदानें 05 राज्यों- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड एवं महाराष्ट्र में अवस्थित हैं, जिनकी सम्मिलित सालाना अधिकतम उत्पादन क्षमता (पीआरसी) 51 मिलियन टन आंकी गई है।

गौरतलब है कि 18 जून, 2020 को कोयला खदानों के व्यावसायिक खनन हेतु भारत की सबसे पहली नीलामी प्रक्रिया का शुभारंभ किया था।

नेवेली लिग्नाइट दुर्घटना से निपटने के लिए नहीं थी पूरी तैयारी

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में हुए हादसे पर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। यह हादसा 1 जुलाई, 2020 को हुआ था। यह थर्मल पावर स्टेशन - मेसर्स नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के नेवेली में स्थित है। इस हादसे में बॉयलर फट गया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 17 अन्य घायल हो गए थे।

समिति ने इस दुर्घटना के लिए निम्न कारणों को जिम्मेवार माना है

- कर्मचारियों को पर्याप्त ज्ञान न होना
- लिग्नाइट के रासायनिक गुणों के बारे में अधूरी जानकारी, विशेषकर वाटर गैस के निर्माण के विषय में, जब गर्म होने पर लिग्नाइट पर पानी लगाया जाता है।
- सुरक्षा के खराब प्रोटोकॉल, सुरक्षा जागरूकता की कमी
- जोखिम का ठीक से मूल्यांकन ने करना और प्रतिक्रिया में की गई देरी
- सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की बेकार प्रक्रिया और सुलगने वाले तत्वों के बारे में सभी कर्मचारियों और श्रमिकों के बीच जागरूकता का अभाव

रिपोर्ट के अनुसार सुलगने से निपटने के लिए कंपनी ने कोई योजना नहीं तैयार की थी। केवल आग लगने और अन्य दुर्घटना के लिए ही ऑनसाइट आपातकालीन योजना तैयार की गई थी। साथ ही एनएलसी के पास सुलगने और पानी से गैस के निर्माण सम्बन्धी दुर्घटना से निपटने के लिए कोई आपातकालीन योजना नहीं थी।

सीएमपीडीआई,में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 का समापन

रांची संवाददाता : 10 नवम्बर को सीएमपीडीआई,रांची में सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2020 का समापन सह-पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन संस्थान के मयूरी प्रेक्षागृह में किया गया। इस समारोह के मुख्य वक्ता एमसीएल के भूतपूर्व निदेशक (कार्मिक) लीला नंद मिश्रा, सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एस0 सरन, निदेशक (तकनीकी/आरडीएंडटी)आर0एन0 झा, निदेशक (तकनीकी/सीआरडी) एस0 के0 गोमास्ता, मुख्य सतर्कता अधिकारी सुमीत कुमार सिन्हा ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया तथा सतर्कता विभाग द्वारा संकलित ई-बुक का विमोचन किया।

इस अवसर पर मुख्य वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि हमें भ्रष्टाचार को दूर करते हुए भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए किन-किन बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिए।

क्वीज प्रतियोगिता (अधिकारी एवं कर्मचारी दोनों वर्गो के लिए) में प्रथम-मनीश दोहारे, द्वितीय-त्रिलोक नाथ, तृतीय-आशीष अग्रवाल, निबंध प्रतियोगिता (कर्मचारी वर्ग) में प्रथम-मीरा कुमारी, द्वितीय-रोशनी बारा, तृतीय-सुमंतो चक्रवर्ती, निबंध प्रतियोगिता (अधिकारी वर्ग) में प्रथम-त्रिलोक नाथ, द्वितीय-प्रेम रंजन, तृतीय - मनीश दोहारे, वाद-विवाद प्रतियोगिता (अधिकारी एवं कर्मचारी दोनों वर्गो के लिए) में प्रथम-त्रिलोक नाथ, द्वितीय-प्रेम रंजन, तृतीय-अतुल कुमार एवं जसवीर सिंह (संयुक्त रूप से), कार्यप्रणाली सुधार परामर्श प्रतियोगिता (अधिकारी एवं कर्मचारी दोनों वर्गो के लिए) में प्रथम-आशीष रंजन, द्वितीय-मयंक अहूजा एवं निर्भय भटनागर (संयुक्त रूप से), तृतीय-प्रदीप कुमार, दीपक कुमार एवं अतुल कुमार (संयुक्त रूप से), ऑन लाइन पेंटिंग प्रतियोगिता (कक्षा-8 से 12 तक के बच्चों के लिए) में प्रथम-अभिज्ञान कृष्णा, द्वितीय-वेद वत्सल, तृतीय-गौरी सिंह जबकि ऑन लाइन क्वीज प्रतियोगिता (कक्षा-8 से 12 तक के बच्चों के लिए) में प्रथम-साकेब अरसालन, द्वितीय-कशीश प्रसाद एवं तृतीय स्थान पर श्लोक वत्सल रहे। सुमीत कुमार सिन्हा, मुख्य सतर्कता अधिकारी ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित किए गए कार्यक्रमों तथा सतर्कता विभाग के आगामी कार्यक्रमों की भी जानकारी देते हुए कहा कि कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य प्रबंधक एस0के0 ठाकुर, आलोक कुमार त्रिपाठी,अमरेश कुमार, सहायक प्रबंधक (वित्त) श्रीमती ऋतु सिंह, वरीय निजी सहायक अखिल कुमार दास, कार्यालय अधीक्षक नंदलाल प्रसाद की भूमिका अहम रही। महाप्रबंधक (सतर्कता) पुष्कर ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

घर वापस लौटे मजदूरों की सबसे अधिक उम्मीद कृषि से

.....पेज 1 का शेष 25 मई को बीज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जिससे कृषकों तक सही समय पर सरकार द्वारा दिए गए सभी सहायता उपलब्ध कराई जा सके। कृषक उत्पादों हेतु बाजार की व्यवस्था भी की जा रही है। बादल ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के तर्ज पर चेंबर ऑफ फार्मर्स के निर्माण की परिकल्पना को चरितार्थ करने की भी बात कही ।

कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि रोजगार एवं जीडीपी में कृषि एक बड़ा योगदान देता है। उन्होंने कहा कि किसानों को जागरूक बनना होगा और उन्हें संबंधित लोगों से पूछना होगा कि उन तक समय से बीज क्यों नहीं पहुंचा, सब्सिडी क्यों नहीं मिली उन्हें सतर्क और जागरूक रहना होगा जिससे बिचौलिए उनके हिस्से का अनुदान न खाएं।

निदेशक, कृषि, श्रीमती निशा उरांव सिंहमारे के द्वारा विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं पे प्रकाश डाला गया । उन्होंने कृषि अवसंरचना कोष के बारे में बताया उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कृषकों को गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि हेतु सब्सिडी और लोन का प्रावधान किया गया है जिससे किसान अपने उत्पादों का रखरखाव ठीक से कर सकें और उन्हें उचित मूल्य भी प्राप्त हो सके। निदेशक, कृषि बागवानी, वरुण रंजन ने कृषि में नए टेक्नोलॉजी एवं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कृषकों को जागरूक करने की बात कही।

कार्यक्रम में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन विशेष फसल योजना (तेलहन) अंतर्गत रबी में राँची जिला के अंतर्गत सरसों प्रत्यक्षण हेतु 10,750 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है जिसके लिए 450 क्विंटल बीज प्राप्त हुआ है इसका वितरण कार्य प्रारंभ है। वहीं चना प्रत्यक्षण हेतु 70 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है जिसके आलोक में चना बीच 52.50 क्विंटल प्राप्त है, गेहूं प्रत्यक्षण हेतु 365 हेक्टेयर के लिए 456.25 क्विंटल बीज, मसूर प्रत्यक्षण हेतु 380 हेक्टेयर के लिए 114 क्विंटल बीज प्राप्त है। इनका कृषकों के बीच निशुल्क वितरण किया जा रहा है।

सरकार ने एक साल बाद किए पीएम कुसुम योजना में बदलाव

एजेंसियां

जुलाई 2019 में शुरू हुई प्रधानमंत्री कुसुम योजना अब तक सिरे नहीं चढ़ पा रही थी, इसलिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना में कई बदलाव किया है। अब तक यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई है, इस वजह से जहां इसका दायरा बढ़ाया गया है, वहीं कई नियमों में संशोधन किए हैं। योजना के तीन घटक हैं। तीनों में ही फेरबदल किया गया हे। घटक-ए में विकेंद्रीकृत ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड नवीकरणीय विद्युत संयंत्र की स्थापना की योजना है। अब इसमें चारागाह और दलदली भूमि के स्वामित्व वाले किसानों को शामिल करके दायरा बढ़ाया गया है। वहीं सौर संयंत्र के आकार को घटा दिया गया है, जिससे छोटे किसान इसमें हिस्सा ले सकें और पूर्णता अवधि नौ से बारह महीने तक बढ़ सके। इसके अलावा किसानों द्वारा कार्यान्वयन में आसानी के लिए हटाए गए उत्पादन में कमी पर जुर्माना लगाया गया है। घटक-ए में किए गए संशोधन इस प्रकार हैं-

- बंजर, परती और कृषि भूमि के अलावा किसानों के चारागाह और दलदली भूमि पर भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं।
- छोटे किसानों की मदद करने के लिए तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर राज्यों द्वारा 500 किलोवाट से कम की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की अनुमति दी जा सकती है।
- चयनित नवीकरणीय पावर जनरेटर (आरपीजी) सौर ऊर्जा संयंत्र को लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी करने की तिथि से 12 महीने के भीतर चालू कर देगा।

- न्यूनतम निर्धारित क्षमता उपयोग कारक (सीयूएफ) से सौर ऊर्जा उत्पादन में कमी के लिए आरपीजी को कोई जुर्माना नहीं होगा।

घटक-बी में स्टैंडअलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स की स्थापना की योजना है। इसमें अब जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यूयूए), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) को या क्लस्टर आधारित सिंचाई प्रणाली के लिए सौर पंप स्थापित करने और इसका उपयोग करने के लिए समूह में प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 एचपी क्षमता तक के 7.5 एचपी से अधिक के सौर पंप क्षमता के लिए सीएफए द्वारा अनुमति दी जाएगी। साथ ही, केंद्रीयकृत निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता में भी संशोधन किया गया है।

अंतिम बोली के दौरान केवल सोलर पंप और सोलर पैनल निर्माताओं अगले पांच वर्षों के लिए गुणवत्ता और स्थापना के बाद की सेवाओं पर विचार करके बोली में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी। कार्यान्वयन के दौरान यह देखा गया कि इन निर्माताओं के पास इस क्षेत्र में कार्यबल की कमी है और इसके लिए स्थानीय इंटीग्रेटरों पर निर्भर है। इस वजह से सोलर पंप्स की स्थापना में देरी हुई है। इस स्थिति को दूर करने के लिए और गुणवत्ता एवं स्थापना के बाद सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए अब इंटीग्रेटरों के साथ सोलर पंप/ सोलर पैनल/सोलर पंप कंट्रोलर के निर्माताओं को संयुक्त उद्यम की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

अब तक यह अनिवार्य था कि वेंडर के नाम पर जारी किए गए प्रत्येक प्रकार और श्रेणी के सोलर पंप के लिए परीक्षण प्रमाणपत्र उसके पास होना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक ही सोलर वाटर पंपिंग प्रणाली के कई परीक्षण हुए हैं, जो न केवल समय लेने वाली और महंगी है, बल्कि, इसका कोई मूल्यवर्द्धन भी नहीं है। इसे दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है कि सोलर पंपिंग सिस्टम के लिए पहले से उपलब्ध परीक्षण प्रमाण पत्र का उपयोग अन्य संस्थापकों के लिए किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए उपयोगकर्ता को इसका उपयोग करने के लिए परीक्षण प्रमाणपत्र रखने वाले से लिखित सहमति लेना होगा।

स्टैंडअलोन सोलर पंप्स का उपयोग एक वर्ष में केवल 100-150 दिनों के लिए ही किया जाता है और बाकी अवधि के दौरान उत्पादित सौर ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सौर ऊर्जा का प्रभावी उपयोग करने के लिए यूपीएससी शुरू करने का प्रस्ताव लाया गया था, जो न केवल वाटर पंप चलाएगा बल्कि अन्य बिजली के उपकरण जैसे; शीत भंडार, बैटरी चार्जिंग, आटा चक्की आदि भी चला सकता है। यूपीएससी की स्थापना से किसानों की आय बढ़ेगी, जो पीएम-कुसुम योजना का उद्देश्य है।

घटक-सी के तहत ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों वाले व्यक्तिगत किसानों को अपने पंपों को सोलराइज करने के लिए मदद दी जा रही है। इसके अलावा किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे वे उत्पादित सौर ऊर्जा से सिंचाई की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे और बाकी सौर ऊर्जा की बिक्री कर सकेंगे। इनसे डिस्कॉम संबंधित राज्य/एसईआरसी द्वारा तय की जाने वाली प्रति निर्धारित दर पर अधिशेष बिजली की खरीदारी करेगी। इस योजना के तहत किलोवाट में पंप क्षमता के दोगुनी तक की सोलर पीवी क्षमता की अनुमति है।

इस योजना के दिशानिर्देशों में जल उपयोगकर्ता संघों और समुदाय/क्लस्टर आधारित सिंचाई प्रणाली द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिक क्षमता वाले पंपों के सोलराइजेश के लिए लागू सीएफए पर कुछ नहीं कहा गया है। अब मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यूयूए)/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/ प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) या क्लस्टर आधारित सिंचाई प्रणाली के लिए उपयोग किए जाने वाले ग्रिड से जुड़े पंपों के लिए समूह में प्रत्येक व्यक्ति को 5 एचपी तक की क्षमता पर विचार करते हुए सीएफए को 7.5 एचपी से अधिक पंप क्षमता के सोलराइजेशन की अनुमति दी जाएगी।

फोटो न्यूज

मॉल में बिक रहे मिट्टी के चुल्हे

रांची : यह रांची के एक प्रसिद्ध मॉल में बिक रहे मिट्टी के चुल्हे हैं। कुछ सालों पहले तक मॉलों में प्रायः इन देशी वस्तुओं की उपस्थिति असंभव सी लगती थी । मॉल पहले सिर्फ संभ्रात और आधुनिक लोगों के बाजार के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन बाजार की जरूरतों और लोगों की आवश्यकताओं के सामने यह भी उसके अनुरूप ढाल चुके हैं।

छठ महापर्व पर एक बड़े वर्ग की पूजा की आवश्यकताओं को देख बाजार का यह क्षेत्र भी उसमें अपना व्यवसाय खोज रहा है। कई मॉलों में छठ के उपयोग के सामानों का काउंटर अलग से सजा हुआ है। एक लिहाज से यह अच्छा है कि अब बड़े बड़े मॉलों में गावों कस्बों के उत्पादकों की वह चीजें भी जगह पा रही हैं जिसकी उम्मीद हम कुछ साल पहले तक बिल्कुल नहीं करते थे।

कीटनाशकों के पंजीकरण का नया नियम

खराब नमूनों के लिए पांच वर्ष में सिर्फ 189 मामलों में जुर्माना। बीते पांच वर्षों (2015-2020) के बीच 3,38,182 कीटनाशकों के नमूनों की जांच की गई है। इनमें 3971 जांच नमूने खराब पाए गए। करीब 189 मामलों में ही कोर्ट से जुर्माना हुआ।

कोई भी नया कीटनाशक इस्तेमाल करने लायक है और उसका पंजीकरण किया जा सकता है। यह प्रमाण पत्र अब एनएबीएल या बेहतर अभ्यास करने वाली प्रयोगशालाएं (जीएलपी) ही करेंगी। अब से केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआईबीएंडआरसी) के जांच और अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय की ओर से 12 अक्तूबर, 2020 को जारी आदेश में कहा गया है कि कीटनाशक के रसायन, अवशेष, प्रसिस्टेंस और पैकेजिंग डाटा आदि से संबंधित जानकारी अनुमति और जांच करने वाली जीएलपी ही होगी। उसकी अनुमति और जांच के आदार पर ही कीटनाशक का पंजीकरण कर लिया जाएगा। कीटनाशकों से जुड़ी शिकायतें यदा-कदा आती रहती हैं। इसके प्रत्यक्ष भुक्तभोगी खेत में रहने वाले किसान ही होते हैं। वहीं, वैश्विक स्तरीय मान्य कीटनाशकों के इस्तेमाल को ही प्रोत्साहित करने की कवायद काफी दिनों से चल रही है। हालांकि, यह आदेश कीटनाशकों के पंजीकरण में होने वाले चरणों को कम करेगा और उन कंपनियों को प्रोत्साहित करेगा जो सिर्फ प्रयोगशाला से ही गुजर कर कीटनाश-ाक का पंजीकरण करा लेना चाहते हैं।

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय ने 21 अगस्त, 2020 को रजिस्ट्रेशन कमेटी की 421वीं बैठक में उपसमिति की ओर से दी गई सिफारिशों पर अमल करने के बाद यह सार्वजनिक सूचना जारी की है। जारी सूचना में यह भी कहा गया है कि कीटनाशक पंजीकरण का आवेदन करने वाले को जीलपी या एनएबीएल प्रयोगशाला से हासिल प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कीटनाशक से जुड़े सभी तथ्य और आंकड़े जांच के समय निकाले गए हैं। वहीं, ऐसे कीटनाशक जिन्हें वैश्विक स्तर पर सहमति मिल सके उसे प्रोत्साहित करने के लिए निदेशालय ने कहा है कि नियामक व्यवस्था को जीएलपी अभ्यास के लिए आधुनिक बनाना होगा। साथ ही जीएलपी या एनएबीएल से जुड़ी प्रयोगशालाओं की ही यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने दायरे और वैधता को मुहैया कराएं। सीआईबीएंडआरसी को कहा गया है कि वह एनएबीएल या जीएलपी संबद्ध प्रयोगशालाओं की पहचान करके उन्हें नामित करे। ऐसी ही प्रयोगशालाओं के प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

कीटनाशकों की गुणवत्ता पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। हाल ही में लोकसभा में 15 सितंबर, 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है कि कीटनाशक कानून, 1968 के तहत देश में कीटनाशकों की गुणवत्ता की करने के लिए 191 केंद्र और 10303 कीटनाशक इंस्पेक्टर राज्य सरकारों के जरिए नामित किए गए हैं। इन इंस्पेक्टर के जरिए सैंपल एकत्र करके 70 राज्यस्तरीय कीटनाशक जांच प्रयोगशालाओं और 2 क्षेत्रीय कीटनाशक जांच प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजा जा सकते हैं। ***मुरलीधर***

टायरों पर रबड़ चढ़ाने वाले फैक्ट्री के खिलाफ जांच के निर्देश

एजेंसियां

एनजीटी ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मैसर्स स्वामी टायर्स वर्क्स के खिलाफ जांच के निर्देश दिए हैं मामला महाराष्ट्र, पुणे के गणेश नगर का है जहां मैसर्स स्वामी टायर्स वर्क्स द्वारा पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर अवैध टायर रिट्रेडिंग का काम किया जा रहा थो कोर्ट ने इस मामले में 18 फरवरी, 2021 से पहले कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है आवेदक, शाओमी सुगाथन ने कहा कि इकाई आवास के आसपास अपनी गतिविधियां चला रही है, जिससे प्रदूषण हो रहा है।

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जानकारी दी है कि 9 दिसंबर, 2019 को इस यूनिट को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया थो 19 जून, 2020 को इसके बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए थे दिसंबर 2019 में इस यूनिट द्वारा पुणे की सिविल जज सीनियर डिवीजन में एक मुकदमा भी दायर किया गया था, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया थो इसके बावजूद इस यूनिट द्वारा की जा रही अवैध गतिविधियां अभी भी जारी हैं। इस यूनिट द्वारा हर रोज करीब 50 से अधिक टायरों पर रबर चढ़ाई जाती है यह प्रक्रिया मूल रूप से रात में की जाती है जिस वजह से रात में प्रदूषण होता है।

धामपुर झील में निर्माण पर एनजीटी सख्त

एजेंसियां

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में धामपुर झील है। सिंधुदुर्ग जिले के कलेक्टर द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के समक्ष अनुपालन में दायर हलफनामे में सूचित किया गया कि झील में एक स्काईवॉक का अवैध निर्माण किया गया था। साइट निरीक्षण रिपोर्ट में भी अवैध निर्माण की पुष्टि हुई। सिंधुदुर्ग के सावंतवाड़ी में पीडब्ल्यूडी ने सिंचाई विभाग की एनओसी का उल्लंघन किया है और अवैध ढांचे का निर्माण किया है, लेकिन लगातार फॉलोअप, बार-बार मीटिंग, कार्यालय के आदेश के बाद भी सावंतवाड़ी पीडब्ल्यूडी निम्नलिखित करने में विफल रही

राज्य जैव विविधता कोष में 5 करोड़ का जुर्माना जमा करने में विफल21 अक्टूबर, 2020 तक अवैध ढांचे को गिराना शुरू नहीं किया गया। 9 अक्टूबर, 2020 को एनजीटी के आदेश के अनुपालन में, सिंधुदुर्ग के कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी के आधिकारिक बैंक खाते पर पाबंदी लगा दी गई। एनजीटी और सिंधुदुर्ग के कलेक्टर के आदेशों को लागू करने में पीडब्ल्यूडी के सुस्त और लापरवाह रवैये के कारण, पीडब्ल्यूडी के अधिकरियों के खिलाफ विभागीय जांच का प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद अवैध ढांचे को हटाने के लिए प्रयास किए गए।

एनजीटी ने दिए मेसर्स सह्याद्री सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के खिलाफ उचित कार्रवाई के आदेश

एजेंसियां

एनजीटी में 10 नवंबर 2020 को मेसर्स सह्याद्री सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के खिलाफ बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 का पालन न करने का मामला उठाया है यह अस्पताल पुणे के डेक्कन जिमखाना में स्थित है आवेदक के अनुसार, यह अस्पताल संक्रामक और खतरनाक बायो मेडिकल वेस्ट को सीधे ही वातावरण में छोड़ रहा है जोकि बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016, वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981और वाटर एक्ट 1974 का उल्लंघन है

जब आवेदक ने एमपीसीबी से इस बारे में जानकारी मांगी थी तो उनका जवाब था कि उनके पास इस अस्पताल के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इससे पता चलता है कि अस्पताल ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जरुरी सहमति नहीं ली है।

जानकारी मिली है कि मेसर्स सह्याद्री सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के राज्य में आठ और अस्पताल हैं जिनमें 900 से अधिक बेड और 200 आईसीयू बेड हैं इसके बावजूद इसे बिना किसी जरुरी सहमति के संचालित किया जा रहा है जिससे रोगों के फैलने का खतरा है। इसे ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस अस्पताल के खिलाफ बीएमडब्ल्यू रूल्स के तहत उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं

पिपरवार ओपेनकास्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में वर्षों से किया जा रहा था पर्यवरण नियमों का उल्लंघन

एजेंसियां

कोयले की हैंडलिंग और परिवहन के चलते जो कोयले की धूल उड़ती है उससे वायु, जल और मिट्टी दूषित हो रही है। कोयला खनन से जुड़े इस काम के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। यह पूरा मामला पिपरवार ओपेनकास्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है। जो अब कोयले का खनन नहीं कर रही है। लेकिन रिपोर्ट से पता चला है कि यह प्रोजेक्ट पर्यावरण मंजूरी से जुड़ी कई शर्तों को पूरा नहीं कर रहा था। यह सिलसिला पिछले कई वर्षों से चल रहा था।

यह जानकारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आई है, जिसे 27 अक्टूबर, 2020 को कोर्ट की साइट पर अपलोड किया गया है। एनजीटी ने इस समिति का गठन पिपरवार ओपेनकास्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में हो रहे पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए किया था। यह प्रोजेक्ट सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का है।

इस रिपोर्ट में समिति ने नीतियों से जुड़े दो मुद्दों पर जोर दिया है। पहला, इस प्रोजेक्ट में करीब दो तिहाई कोयले को सड़क मार्ग द्वारा भेजा जा रहा था। यह 'ऑन-रोड बिक्री' और ई-नीलामी की अनुमति सम्बन्धी नीति का परिणाम है। ऐसे में पर्यावरण मंजूरी से जुड़ी कोई भी शर्त जो निर्दिष्ट करती है कि इस तारीख के बाद सड़क द्वारा कोयले के परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी, पूरी तरह से व्यर्थ है।

दूसरा, पर्यावरण मंजूरी से जुड़ी सभी शर्तें प्रदूषण की रोकथाम और उसके लिए उठाए जाने वाले क़दमों पर केंद्रित होती हैं। लेकिन पर्यावरण प्रदूषण को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक स्थिति की अलग-अलग स्थानों पर निरंतर निगरानी न की जाए। यह स्वास्थ्य और इकोसिस्टम पर पड़ने वाले असर को जानने और उसे रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है।

अनियंत्रित सोलर पंप जल संकट बढ़ा भी सकते हैं

एजेंसियां

देश में अभी 24 हजार सिंचाई वाले सोलर पंप हैं। इनमें ज्यादातर ऑफ ग्रिड हैं। यानी जिनपर भू-जल निकासी के लिए किसी तरह की निगरानी और नियंत्रण नहीं है। चिंताजनक यह है कि बहुत जल्द ही इनकी संख्या दोगुनी हो सकती है। इससे खेती-किसानी के लिए न सिर्फ भू-जल पर निर्भरता और अधिक बढ़ सकती है बल्कि भू-जल का अनियंत्रित दोहन भी काफी बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम योजना) के जरिए ही 17 लाख 50 हजार ऑफ ग्रिड पंप और 10 लाख ग्रिड पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 10 गीगावाट छोटे सोलर पावर प्लांट भी लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह पंप लग जाएंगे लेकिन खतरे की घंटी बजा रहे भू-जल स्तर की निगरानी कैसे होगी, इसका कोई रोडमैप अभी तक नहीं है?

यह बातें सेंटर फॉर साइंस एंड एनवॉयरमेंट (सीएसई) की ताजा रिपोर्ट 'सिल्वर बुलेट' में कही गई हैं। रिपोर्ट में महाराष्ट्र के बुलधाना और उत्तर प्रदेश में पीलीभीत व आंध्र प्रदेश में विझियांग्राम के किसानों का सर्वे भी किया गया है। सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा सोलर पंप इन्हीं तीन जिलों में अभी मौजूद हैं। सीएसई में रीन्यूबल एनर्जी कार्यक्रम प्रबंधक मांडवी सिंह ने डाउन टू अर्थ से कहा कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में छूट (सब्सिडी) वाली बिजली के कारण भू-जल का जबरदस्त दोहन किया गया। इस बात के पर्याप्त तथ्य हैं कि भू-जल संकट जैसे इसके भयानक दुष्परिणाम भी सामने आए। अगर ऑफ ग्रिड सोलर पंप की बात की जाए, जो कि संख्या में काफी ज्यादा हैं, न तो इनकी निगरानी और न ही इनके नियंत्रण का कोई प्रावधान किया गया है। ऐसे में यह भू-जल संकट के लिए बड़े कारक बन सकते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक देश में 70 फीसदी सिंचित क्षेत्र के लिए करीब 90 फीसदी (228.3 अरब घन मीटर) भू-जल की निकासी की जाती है। वहीं, सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले कुल 70 फीसदी स्त्रोतों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी ट्यूबवेल्स की है। इन ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल इसलिए भी बढ़ा क्योंकि राज्यों में बिजली की दरें काफी छूट के साथ खेती-किसानी के लिए पहुंचाई गईं।इसके मुताबिक खेती-किसानी के लिए कम दरों पर बिजली मुहैया कराने के कारण डिस्कॉम्स यानी बिजली वितरक कंपनियां घाटे में हैं। इनका घाटे का बोझ राज्यों को उठाना पड़ रहा है। यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। राज्यों पर सब्सिडी का बोझ बढ़ता जा रहा है। सब्सिडी का सबसे ज्यादा बोझ इस वक्त पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पर है। जबकि इन राज्यों में कृषि राजस्व का हिस्सा बेहद कम है। अनुमान के मुताबिक प्रति वर्ष 50,000 करोड़ सब्सिडी का बोझ राज्यों को उठाना पड़ रहा है। हरियाणा और पंजाब सबसे ज्यादा राजस्व घाटे वाले राज्य हैं। इन दोनों राज्यों में सब्सिडी का बोझ सात हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष है।

रिपोर्ट के मुताबिक सिंचाई के लिए बढ़ती बिजली की मांग और बिजली की दर को कम रखने के लिए सब्सिडी के बोझ को देखते हुए सरकार सौर ऊर्जा वाले सिंचाई पंप के इस्तेमाल को

कई अच्छे प्रयासों का गवाह बना बीएयू में बिरसा जयंती पखवाड़ा सप्ताह

अजय कुमार

रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस (RAWE) से छात्रों को ग्रामीण परिस्थितियों में किसानों द्वारा अपनाई गई कृषि प्रौद्योगिकियों एवं उनकी समस्यायों को समझने का मौका मिलता हैं। छात्रों को किसानों से कृषि तकनीकी ज्ञान एवं किसानों की समस्यायों का समाधान की सीख मिलती है। छात्रों को कृषि से जुड़े परिवारों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में कार्य द्वारा कौशल एवं दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलती है।

डॉ यादव बताते है कि लॉक डाउन की वजह से इस वर्ष छात्रों को निकटतम ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव में भाग लेने का निर्देश दिया गया है। छात्रों को कृषि मित्र,पंचायत सेवक, पंचायत मुखिया,प्रखंड तकनीकी प्रबंधक आदि के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से अनुभव बाँटना है। छात्र स्वयं या समुह में गाँवो में जाकर स्थानीय भूमि की स्थिति, जलवायु, कृषि परिस्थिति, सिंचाई साधन, खेती प्रणाली, फसल प्रभेद, फसलों में कीट व रोग, शस्य प्रबंधन, खेत की जुताई से कटाई तक का प्रबंधन,भंडारण, लाभकारी कृषि व्यवसाय जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सूकर पालन, मछली पालन, मधुमख्खी पालन व मशरूम उत्पादन आदि, प्रसंस्करण व मूल्यवर्धन, कृषि बाजार प्रणाली, कृषि योजनाओं आदि का किसानों से बातचीत के आधार पर ब्यौरा तैयार करेंगे। कम लागत, बिना लागत एवं स्थानीय देशज तकनीकों को चिन्हित करना है। प्रत्येक दिन के ब्यौरे का प्रतिदिन प्रतिवेदन समन्वयक को भेजेंगे। छात्रों का यह ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव कार्यक्रम 20 क्रेडिट का एवं छः महीनों का होगा। अंत में सभी छात्र ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव का विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

कार्यक्रम के समन्वयक डॉ निभा बाड़ा होंगी। डॉ निभा ने जानकारी दी कि कार्यक्रम से छात्रों को स्वतंत्र कार्य करने, नेतृत्व एवं विश्लेषणात्मक कौशल व क्षमता का विकास, टीम के रूप में कार्य तथा कार्य योजना की संकल्पना तथा रिपोर्ट लेखन कौशल को बढ़ावा मिलेगा। डॉ बीके झा व डॉ नेहा पांडे को रांची, सुश्री अभिलाषा मिंज को गढ़वा, डॉ नीरज कुमार को गोड्डा तथा डॉ सर्वेश कुमार को देवघर स्थित एग्रीकल्चर कॉलेज का रावे प्रोग्राम प्रभारी बनाया गया है।

145 वीं बिरसा जयंती समारोह का आयोजन

कुलपति ने बिरसा मुंडा की शिक्षा के अवधारणा से प्रेरणा लेने की बात कही। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 12 नवेम्बर को 145 वीं बिरसा जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कुलपति,वरीय पदाधिकारियों तथा भगवान बिरसा मुंडा के वंशजो ने परिसर स्थित बिरसा मुंडा के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित की।कुलपति ने दीप प्रज्वल्लित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया।

मौके पर मुख्य अतिथि कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने समारोह में बिरसा मुंडा के वंशजों एवं किसान भाईयों की गरिमामयी उपस्थिति को विश्वविद्यालय परिवार के लिए महान गौरव का क्षण कहा। 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा की आदिवासी समुदाय की शिक्षा, सामाजिक एवं संस्कृतिक विकास की सोच के आदर्शो से सीख लेने की बात कही।

कुलपति ने कहा कि देश की आजादी एवं विशेषकर जनजातीय समाज के उत्थान में उनका योगदान हमेशा सबों को प्रेरित करती रही है। उनकी सामाजिक शिक्षा के प्रति सोच एवं अवधारणा को कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने में प्रेरणा लेने की जरूरत है। बिरसा मुंडा के नाम से स्थापित इस विश्वविद्यालय से झारखण्ड में कृषि विकास को काफी बढ़ावा मिला है। विश्वविद्यालय प्रदेश को अब प्रति वर्ष करीब 500 कृषि तकनीकी मानव संसाधन बल देने की ओर अग्रणी है। कृषि शोध एवं विस्तार तकनीकों से राज्य खाद्यान मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। कृषि तकनीकी के बल पर किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है।ग्रामीणों की पोषण एवं आजीविका सुरक्षा को बल मिला है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा बिरसा मुंडा की जन्म स्थली उलीहातू गाँव में कृषि तकनीकी विस्तारण की पोषण एवं आजीविका सुरक्षा के अनेकों कार्यक्रमों का सूत्रपात किया गया है। इस वर्ष उलीहातू गाँव में कृषि तकनीकी विस्तारीकरण कार्यक्रमों से विश्वविद्यालय प्रयासरत हैं।मौके पर कुलपति ने बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा को विशेष रूप से बुद्धिमत्ता से सुखी जीवन नामक पुस्तिका भेंट की। कुलपति ने सुखराम मुंडा सहित भगवान बिरसा के वंशजो, पारिवारिक सदस्यों एवं गाँव के करीब 30 महिला व पुरूष को शॉल एवं वस्त्र से पहनाकर सम्मानित किया।

उलीहातू गाँव के किसानों को सब्जी फसलों के उन्नत किस्म का वितरण

उलीहातू गाँव से आये सभी लोगों को सब्जी फसलों के उन्नत किस्म के टमाटर, बैंगन, फ्रेंचबीन व करैला तथा तीसी व सरसों के बीज को अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण के लिए प्रदान किया।

इस अवसर पर कृषि संकाय के पीजी छात्र सर्वपुष्प मिंज ने उलीहातू गाँव के विकास में ओर प्रयास पर जोर दिया।

मौके पर बिरसा मुंडा के पोत्र सुखराम मुंडा ने कहा कि उलीहातू गाँव में बीएयू के कुलपति एवं वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की और बीएयू से गाँव को एक नई पहचान की बात कही। उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने, गाँव के बच्चे को कृषि वैज्ञानिक बनने तथा विश्वविद्यालय को विकास की ओर आगे बढ़ने की बात कही।

डीन एग्रीकल्चर डॉ एमएस यादव ने बिरसा मुंडा के नाम स्थापित कृषि विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बीएयू की स्वतंत्रता एवं स्वायत्ता की दिशा में सकारात्मक पहल पर जोर दिया।

डायरेक्टर रिसर्च डॉ अब्दुल वदूद ने 120 वर्षो के बाद भी बिरसा मुंडा के यादों को उनके संयम, संघर्ष, नेतृत्व तथा बलिदानों का प्रतिफल बताया। जिन्होंने छोटी उम्र में ही प्रदेश एवं देश की आजादी की बड़ी लड़ाई लड़ी।

मौके पर रजिस्ट्रार डॉ एन कुदादा तथा डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन ने जनजातीय समुदाय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान दिलाने में बिरसा मुंडा के सफल प्रयासों एवं आदर्शो के बारे में बताया। स्वागत भाषण डीएसडब्लू डॉ डीके शाही व धन्यवाद ज्ञापन डॉ निभा बाड़ा ने दी। समारोह का संचालन श्रीमती शशि सिंह ने की। मौके पर सभी डीन, डायरेक्टर, एसोसिएट डीन, प्रोफेसर आदि मौजूद थे।

एवोकाडो (बट्टर फ्रूट) के शोध को बढ़ावा

बीएयू कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह के परामर्श पर विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग ने एवोकाडो पर शोध की दिशा में पहल की। विश्वविद्यालय में बिरसा मुंडा पखवाड़ा सप्ताह के अधीन रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ रमेश पांडे एवं बीएयू कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने एवोकाडो पौधों का वृक्षारोपण किया। मौके पर डॉ एमएस यादव, डॉ अब्दुल वदूद, डॉ डीके शाही, डॉ जगरनाथ उराँव, प्रो डीके रूसिया एवं डॉ बधनू उराँव मौजूद थे। मौके पर बीएयू कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने बताया कि भारत में हिमाचल प्रदेश एवं सिक्किम में इसकी खेती प्रचलित हो रही है। आरयू के कुलपति डॉ रमेश पांडे ने झारखण्ड में इसकी खेती उपयुक्त पाए जाने पर किसानों के आय के नए साधन विकसित होने की बात कही। उद्यान विभाग के अध्यक्ष डॉ केके झा ने 60 फीसदी से अधिक नमी सहित 20-30 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 100 सेमी प्रतिवर्ष से अधिक वर्षा तथा लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होने तथा इसे बीज या कलम द्वारा बोये जाने की बात कही।

बिरसा जयंती पखवाड़ा सप्ताह का समापन

15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया। मौके पर कुलपति के साथ सबों ने बिरसा मुंडा के आदर्शो पर चलते हुए विश्वविद्यालय के विकास की शपथ ली।

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।